

28

**ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)**

सत्रहवीं लोक सभा

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

**[अक्षय ऊर्जा के 175 गीगावाट के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना
संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट
टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]**

अठाईसवाँ प्रतिवेदन



**लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली**

जुलाई, 2022/श्रावण, 1944 (शक)

अठईसवाँ प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)
(सत्रहवीं लोक सभा)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

[अक्षय ऊर्जा के 175 गीगावाट के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

2 अगस्त, 2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया

2 अगस्त, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जुलाई, 2022/ श्रावण, 1944 (शक)

सीओई सं. 354

मूल्य: रु.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और _____द्वारा मुद्रित ।

विषय सूची		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		5
प्राक्कथन		7
अध्याय एक	प्रतिवेदन	8
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	21
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	53
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	54
अध्याय पाँच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	62
अनुबंध		
एक	हवाई अड्डों में स्थापित सौर पीवी परियोजनाएं	63
दो	पीएम-कुसुम के तीन घटकों के तहत संचयी स्वीकृत क्षमता	66
परिशिष्ट		
एक	समिति की 26 जुलाई, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	68
दो	ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।	70

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
6. श्री किशन कपूर
7. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
8. श्री सुनील कुमार मंडल^
9. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री प्रवीन कुमार निषाद
12. श्री पी. वेलुसामी
13. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
14. श्री जानेश्वर पाटिल@
15. श्री जय प्रकाश
16. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
17. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
18. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
19. श्री शिवकुमार सी. उदासी
20. रिक्त**
21. रिक्त#

राज्य सभा

22. श्री अजीत कुमार भुयान
23. श्री राजेन्द्र गहलोत*
24. श्री मुजीबुल्ला खान
25. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
26. श्री एस .सेल्वागनबेथी*
27. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
28. श्री के.टी.एस. तुलसी
29. रिक्त \$
30. रिक्त&
31. रिक्त^^

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय – संयुक्त सचिव
2. श्री आर. के. सूर्यनारायणन – निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा – अपर निदेशक
4. सुश्री दीपिका – समिति अधिकारी

^ श्रीमती साजदा अहमद के स्थान पर दिनांक 01.12.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए।
@ श्री रमेश चन्द्र कौशिक के स्थान पर दिनांक 07.02.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए।

** 22.03.2022 को लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप श्री अखिलेश यादव समिति के सदस्य नहीं रहे।

समिति के गठन के समय से रिक्त।

* दिनांक 11.11.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए।

\$ श्री जुगलसिंह लोखंडवाला द्वारा 02.12.2021 को समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया।

& 29.06.2022 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप श्री टी.के.एस. एलंगोवन समिति के सदस्य नहीं रहे।

^^ 04.07.2022 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप श्री संजय सेठ समिति के सदस्य नहीं रहे।

प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर अक्षय ऊर्जा के 175 गीगावाट के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति का यह अठाईसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. सत्रहवां प्रतिवेदन 19 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया था। इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 21 जनवरी, 2022 को प्राप्त हो गये थे।

3. समिति ने 26 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. समिति के सत्रहवें (17वीं लोक सभा) प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है ।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

नई दिल्ली;
26 जुलाई, 2022

श्रावण 4, 1944 (शक)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

अध्याय - एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन 'अक्षय ऊर्जा के 175 गीगावाट के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना' विषय से संबंधित समिति (2020-21) के सत्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है।

2. सत्रहवां प्रतिवेदन 19.03.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में 19 सिफारिशें/टिप्पणियां अंतर्विष्ट थीं।

3. इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण सरकार से प्राप्त हो गए हैं। ये निम्नवत वर्गीकृत हैं:

I. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

क्र.सं. 1,2,3,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18 और 19 कुल - 15
अध्याय-दो

II. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है:

शून्य कुल - 00
अध्याय-तीन

III. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

क्र.सं. 4,5,7 और 12 कुल - 04
अध्याय-चार

IV. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

शून्य कुल - 00
अध्याय-पांच

4. समिति पाती है कि 'अक्षय ऊर्जा के 175 गीगावाट के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना' विषय पर सत्रहवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 19 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्यसभा के पटल पर रखा गया था। मंत्रालय को तीन महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 18 जून, 2021 तक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करने थे। हालांकि, मंत्रालय ने 21 जनवरी, 2022 को सात माह से अधिक के विलंब के बाद की-गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने की-गई कार्रवाई उत्तरों को प्रस्तुत करने में मंत्रालय की ओर से विलंब पर खेद व्यक्त किया। समिति ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए मंत्रालय को समिति के समक्ष समय पर उत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, इस बात को दोहराया कि समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के उत्तर व्यापक होने चाहिए न कि अधूरे, अस्पष्ट या सामान्य शब्दों जैसे 'नोट कर लिया गया है', 'स्वीकार कर लिया गया है', आदि में नहीं होने चाहिए।

5. समिति यह भी चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई कार्रवाई का विवरण इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर समिति को भेज दिया जाए।

6. अब समिति सरकार द्वारा उनकी उन टिप्पणियों/सिफारिशों जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर गुण-अवगुण के आधार पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है, पर की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

सिफारिश संख्या 4

7. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

“समिति नोट करती है कि वर्ष 2022 तक 50 से अधिक सौर ऊर्जा पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना द्वारा 40 गीगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की तुलना में

17 राज्यों में 22,879 मेगावाट कुल क्षमता के 39 सौर ऊर्जा पार्कों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इन स्वीकृत सौर ऊर्जा पार्कों में से 8 सौर ऊर्जा पार्कों में आधारभूत ढांचे को पूर्ण रूप से विकसित किया गया है जहाँ 6580 मेगावाट की कुल क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किया गया है और 4 सौर ऊर्जा पार्कों को आंशिक रूप से विकसित किया गया है जहाँ 1365 मेगावाट की कुल क्षमता की सौर परियोजनाओं को शुरू किया गया है। समिति टिप्पणी करती है कि 17,121 मेगावाट की कुल क्षमता के शेष 11 सौर ऊर्जा पार्कों को मंत्रालय द्वारा अभी स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गई है जबकि ये सौर ऊर्जा पार्क विकसित किए जाने थे और वर्ष 2022 तक इन्हें शुरू किया जाना था। अभी तक केवल 20 प्रतिशत स्वीकृत सौर ऊर्जा पार्कों को पूरी तरह से विकसित किया गया है और शेष 10 प्रतिशत को आंशिक रूप से विकसित किया गया है और 70 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। समिति अब तक कार्य की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करती है क्योंकि 5 वर्ष (2015-20) से अधिक की अवधि के दौरान मंत्रालय केवल 8 सौर ऊर्जा पार्क ही पूर्ण रूप से विकसित कर सका तथा वर्ष 2022 तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 32,055 मेगावाट की कुल क्षमता को अभी प्रारंभ किया जाना है। समिति को यह जानकारी दी गई कि सौर ऊर्जा पार्कों के विकास में मुख्य चुनौती भूमि अधिग्रहण की है जो राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों पर निर्भर करता है। लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं है कि तीन वर्ष अधिक की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी मंत्रालय ने 11 सौर ऊर्जा पार्कों को मंजूरी क्यों नहीं दी है। समिति समझती है कि यदि मंत्रालय के स्तर पर स्वीकृति में इतना अधिक समय लगता है तो लक्ष्य निर्धारित करना अर्थहीन हो जाता है। अतः समिति आशा करती है कि स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो जाएगी ताकि परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित किया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सौर ऊर्जा परियोजनाएं भूउन्मुखी

परियोजनाएं हैं, जिसके लिए भूमि का बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है, समिति ने विशेष रूप से सिफारिश की:

- (i) मंत्रालय को सौर ऊर्जा पार्क शीघ्र स्थापित करने के लिए विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के विकल्प की खोज सक्रिय रूप से करनी चाहिए।
- (ii) मंत्रालय को कोच्चि हवाई अड्डे, जो विश्व में पहला पूर्णतया सौर ऊर्जा उपयोग वाला हवाई अड्डा है, की भांति समयबद्ध तरीके से सभी हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।“

8. अपनी की-गई कार्रवाई उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने निम्नानुसार जानकारी दी:

"(i) समिति के सुझाव को नोट कर लिया गया है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 तक कुल 40 गीगावाट क्षमता के सौर पार्कों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय ने कुल 33.8 गीगावाट की समग्र क्षमता के 50 सौर पार्कों के लिए अनुमोदन दिया है। इनमें से, 6580 मेगावाट स्थापित क्षमता की परियोजनाओं के साथ 8 पार्क पूर्ण हो चुके हैं और 2615 मेगावाट स्थापित क्षमता की परियोजनाओं के साथ 6 पार्क आंशिक रूप से पूर्ण हैं।

मंत्रालय ने राज्यों को प्रोत्साहन देने के प्रावधान के साथ सौर पार्क योजना के तहत एक नए मोड (मोड-8) की शुरुआत की है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/राज्य सरकार की एजेंसियां सक्रिय रूप से शामिल हैं और इस मोड के तहत पार्कों का विकास कर रहे हैं।

मंत्रालय भी सौर पार्कों की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है।

(ii) नागर विमानन मंत्रालय को जनवरी 2020 में विभिन्न हवाई अड्डों का सौरीकरण करने और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए खाली पड़ी हवाई अड्डों की भूमि का उपयोग करने का अनुरोध किया गया था। इन पहलों से, विभिन्न हवाई अड्डों पर 101 मेगावाट क्षमता की सौर पीवी परियोजनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। इसका ब्यौरा अनुलग्नक-एक पर दिया गया है।"

9. समिति ने अपनी सिफारिश में यह नोट किया था कि 50 में से 11 सौर पार्कों को तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, मंत्रालय स्तर पर अनुमोदन प्राप्त होने में इतना लंबा समय लगने के कारण लक्ष्य निर्धारित करने की पूरी कवायद अर्थहीन हो गई। समिति धीमी प्रगति से निराश थी क्योंकि मंत्रालय 5 वर्षों (2015-20) से अधिक समय में केवल 8 सौर पार्कों को पूर्ण रूप से विकसित कर पाया था।

मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि उसने 31-12-2021 तक कुल 33.80 गीगावाट क्षमता के 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है और इसमें से केवल 8 पार्कों को 6580 मेगावाट की चालू क्षमता के साथ पूरा किया गया है और 6 पार्कों को 2615 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की परियोजनाओं के साथ आंशिक रूप से पूरा किया गया है। समिति का मानना है कि हालांकि मंत्रालय ने कुल 33.80 गीगावाट क्षमता वाले 50 सौर पार्कों के लिए मंजूरी दी है, लेकिन यह 40 गीगावाट के लक्ष्य से 6.20 गीगावाट कम है। इसके अतिरिक्त, 2020 के बाद से पूरी तरह से विकसित सौर पार्कों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है इसलिए 42 सौर पार्कों को पूरी तरह से विकसित किया जाना बाकी है जबकि इसकी अंतिम समय सीमा दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली है। मंत्रालय ने न तो 11 सौर पार्कों को मंजूरी देने में विलंब के कारण बताए हैं और न ही मंजूरी के स्तर पर ही लक्ष्य में कमी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय ने सौर पार्कों की

स्थापना हेतु विभिन्न पीएसयू और राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि के उपयोग और सभी विमान पतनों को कोची विमान पतन की भांति सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई भी नहीं की है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति अपनी सिफारिश को दोहराती है और विशेष रूप से चाहती है कि मंत्रालय 11 सौर पार्कों को मंजूरी प्रदान करने में विलंब और अनुमोदन के स्तर पर ही 6.20 गीगावाट की कमी के कारणों को प्रस्तुत करे। समिति को विभिन्न पीएसयू और राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि का उपयोग करते हुए उन पर सौर पार्क स्थापित करने और सभी विमानपत्तनो पर सौर उर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु विकल्प का पता लगाने के लिए की गई पहलों से भी अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 5

10. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

“समिति नोट करती है कि नौ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने 1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना में भाग लिया और इन नौ सीपीएसयू को देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम को 795 करोड़ रु. (भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रभारों सहित) जारी किया गया। सीपीएसयू योजना के चरण-दो में 319 करोड़ रु. सात भाग लेने वाले सीपीएसयू/सरकारी संगठनों को देने के लिए जारी किए गए। यह भी बताया गया कि इस योजना में स्वदेशी निर्मित सेल और मॉड्यूल्स के उपयोग की परिकल्पना की गई है। समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि योजना के अंतर्गत स्वदेशी सामान की आवश्यकता का प्रावधान है जिससे स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सौर पीवी ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी विनिर्माताओं को लगातार बाजार प्रदान करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि:

- (i) सीपीएसयू और सरकारी संगठनों द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सौर पीवी ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना के अंतर्गत लक्ष्य को बढ़ा देना चाहिए।
- (ii) चूंकि अब तक योजना के केवल कुछ ही सीपीएसयू ने भाग लिया है इसलिए मंत्रालय को सक्रिय कदम उठाने चाहिए तथा और अधिक सीपीएसयू/सरकारी संगठनों को योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।“

11. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार कहा है:

"(i) और (ii) सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से एक योजना, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-दो (सरकारी उत्पादक योजना) कार्यान्वित कर रही है ताकि सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं द्वारा सीधा या वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से उपयोग के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ ग्रिड-संबद्ध सौर प्रकाश वोल्टीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा सकें।

सीपीएसयू योजना चरण-दो के तहत सौर पीवी विद्युत संयंत्रों की स्थापना स्वदेशी तौर पर निर्मित सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों का उपयोग करते हुए की जाएगी। उक्त योजना के तहत, आज तक (दिनांक 03.01.2022 तक) निम्नलिखित क्षमताओं का आवंटन किया गया है:

क्र. सं.	सरकारी संस्था का नाम	सीपीएसयू योजना चरण-II के तहत आवंटित सौर पीवी विद्युत संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)
1	एनटीपीसी लिमिटेड	3682
2	द सिंगरेनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड	171
3	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3

4	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	30
5	एनएचडीसी लिमिटेड	25*
6	नालंदा विश्वविद्यालय	5
7	इंदौर नगर निगम	100
8	एसजेवीएन लिमिटेड	1000
9	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	510
10	एनएचपीसी लिमिटेड	1000
11	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	500
12	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1200
कुल		8226*

**एनएचडीसी लि. को आवंटित 25 मेगावाट क्षमता को सेकी द्वारा निरस्त कर दिया गया है।*

उक्त 8226 मेगावाट क्षमता में से, 1911 मेगावाट क्षमता के लिए 65.70 लाख रु. प्रति मेगावाट केवीजीएफ की आवश्यकता है, 115 मेगावाट क्षमता के लिए 55.60 लाख रु. प्रति मेगावाट के वीजीएफ की आवश्यकता है और 6200 मेगावाट क्षमता के लिए 44.45 लाख रु. प्रति मेगावाट वीजीएफ की आवश्यकता है।“

12. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केवल नौ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) ने 1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना में भाग लिया था और केवल सात सीपीएसयू/सरकारी संगठनों ने योजना के चरण-दो में भाग लिया था, समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय को अधिक सीपीएसयू/सरकारी संगठनों को भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के तहत लक्ष्यों को बढ़ाना चाहिए।

मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि 3 जनवरी, 2022 तक 8226 मेगावाट की आवंटित क्षमता के साथ केवल 12 सीपीएसयू/सरकारी संगठनों ने योजना के चरण-दो के तहत भाग लिया है। 12 संगठनों में से, एनएचडीसी लिमिटेड को आवंटित क्षमता को रद्द कर दिया गया है। समिति पाती है कि मंत्रालय ने योजना के चरण-दो में सीपीएसयू की भागीदारी के संबंध में मात्र अद्यतन डेटा प्रदान किया है और मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के अनुरण में और सीपीएसयू को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और योजना के अन्तर्गत लक्ष्य बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए समिति अपनी सिफारिश दोहराती है कि मंत्रालय को अग्र-सक्रिय कदम उठाने चाहिए और योजना में अधिक सीपीएसयू/सरकारी संगठनों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए तथा सीपीएसयू और सरकारी संगठनों द्वारा ग्रिड-संपृक्त सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु लक्ष्य में वृद्धि करनी चाहिए। समिति को इस संबंध में परिणामों से अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 7

13. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

“समिति यह नोट करती है कि सभी राज्य-संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों ने नेट मीटरिंग विनियम/शुल्क आदेश जारी किए हैं लेकिन इस संबंध में एकरूपता का अभाव है। यह बताया गया है कि अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रिड से लिए गए अधिक यूनिटों के ले कोई उपयुक्त भुगतान तंत्र नहीं है और इसे बिजली के बिल में आमतौर पर समायोजित किया जाता है। समिति टिप्पणी करती है कि नेट-मीटरिंग के अतिरिक्त अन्य मीटरिंग व्यवस्थाएं भी हैं जैसे सकल मीटरिंग। समिति का यह विचार है कि नेट/सकल मीटरिंग के उचित क्रियान्वयन के बिना सौर ऊर्जा रुफटॉप के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं और

समिति महसूस करती है कि विनियमन/मॉडल संचालन प्रक्रिया/ऑनलाइन यूनीफाइड पोर्टल आदि के लिए एकरूपता बनाए रखना आवश्यक है। अतः समिति सिफारिश करती है कि दोनों व्यवस्थाओं के लाभों और हानियों का विश्लेषण करने के पश्चात मंत्रालय को सभी पणधारकों के साथ परामर्श कर देश में नेट/सकल मीटरिंग व्यवस्था के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि डिस्कॉमस् और उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके।”

14. नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत जानकारी प्रदान की है:

“नेट-मीटरिंग नियमनों में एकरूपता लाने के लिए और आरटीएस को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियमाली, 2020 जारी की है और नियमावली में जून, 2021 में अपनी अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया है। संशोधित नियमावली के अनुसार, प्रोज्युमर को 500 किलोवाट या स्वीकृत लोड तक, जो भी कम हो और अन्य लोड के लिए नेट-बिलिंग या नेटफीड-इन के लिए नेट-मीटरिंग करने की अनुमति है। संगत प्रावधान नीचे दर्शाए गए हैं:

“11 (4) नेट-मीटरिंग, ग्रास-मीटरिंग, नेट-बिलिंग या नेट-फीड-इनकी व्यवस्था राज्य आयोग द्वारा समय समय पर तैयार नियमनों के अनुरूप होगी: बशर्ते कि जहां नियमनों में नेट-मीटरिंग, नेट-बिलिंग या नेट-फीड-इनका प्रावधान नहीं है, आयोग प्रोज्युमर को पांच सौ किलोवाट या स्वीकृत लोड तक और अन्य लोड के लिए नेट-बिलिंग या नेटफीड-इन, जो भी कम हो, के लिए नेट मीटरिंग की अनुमति दे सकता है।”

मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में मंत्रालय ने राज्यों के साथ पहले ही मानक संचालन प्रक्रियाएं साझा की हैं। इसके अलावा, आवेदन करने और अनुमोदन की प्रगति के लिए अधिकतर डिस्कॉमों के पास ऑनलाइन पोर्टल है। इन पोर्टलों को अधिक यूजरफ्रेंडली बनाने की जरूरत और फीडबैक के आधार पर इन्हें अपडेट किया जा रहा है।”

15. समिति ने अपनी सिफारिश में मंत्रालय से नेट मीटरिंग के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया था क्योंकि इसके बिना सोलर रूफ-टॉप्स के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि सरकार ने विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियमों में संशोधन किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पांच सौ किलोवाट तक या स्वीकृत लोड, जो भी कम हो, तक नेट-मीटरिंग और अन्य भारों हेतु नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन की अनुमति प्रदान की जाए। तथापि, मंत्रालय ने देश में नेट-मीटरिंग के वास्तविक कार्यान्वयन के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि नियमों की अधिसूचना एक बात है और उनका उचित कार्यान्वयन बिल्कुल दूसरी बात है, समिति अपनी सिफारिश दोहराती है और इच्छा जताती है कि मंत्रालय देश में निवल/सकल मीटरिंग के वास्तविक कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति की जानकारी प्रदान करे।

सिफारिश संख्या 12

16. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

“समिति नोट करती है कि 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली लघु विद्युत परियोजनाएं (एसएचपी) विकसित करने की जिम्मेदारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की है। देश में 7133 स्थानों पर लघु विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन करने की अभिज्ञात क्षमता 21,133 मेगावाट है। 5000 मेगावाट लक्ष्य की तुलना में 1130 लघु जलविद्युत परियोजनाओं से 4688.16 मेगावाट की क्षमता 30 जून 2020 तक प्राप्त की जा चुकी है और लगभग 509 मेगावाट की 100 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। यह बताया गया है कि एसएचपी स्कीम, 2014 31.3.2017 को समाप्त हो गई और एसएचपी कार्यक्रम को 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2010 तक तीन वर्षों के लिए जारी रखने के

प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिल पाई। अब इस योजना को नए सिरे से मार्च, 2025 तक के लिए नया प्रस्ताव किया जा रहा है और एसएचपी स्कीम को 2020-21 से 2024-25 तक जारी रखने के लिए एक ईएफसी (व्यय वित्त समिति) ज्ञापन तैयार किया गया है और यह मंत्रालय के विचाराधीन है। मंत्रालय ने 2017 से एसएचपी के लिए योजना लाने में हुए इस अत्यधिक विलंब के लिए कोई कारण नहीं बताया है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि:

- (i) मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर लघु हाइड्रो पावर स्कीम तैयार किए जाने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाए और इसके लिए ईएफसी से शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करे।
- (ii) लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किए जाएं जिससे कि दी हुई समयावधि में लघु हाइड्रो सेक्टर में 21,133 मेगावाट विद्युत की उपलब्ध संभावना का उपयोग किया जा सके।
- (iii) 01 अप्रैल, 2017 से आरंभ होने वाले सभी लघु हाइड्रो पावर परियोजनाएं नए एसएचपी कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की जाएंगी।“

17. नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया है:

“समिति के सुझाव को नोट कर लिया गया है। मंत्रालय देश में लघु पन विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए एक नई योजना तैयार कर रहा है।“

18. समिति ने अपनी सिफारिश में नोट किया था कि एसएचपी योजना, 2014 31.03.2017 को समाप्त हो गई और 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक एसएचपी कार्यक्रम को जारी रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी। तब योजना को मार्च 2025 तक नए सिरे से विकसित करने का प्रस्ताव

दिया गया था और 2020-21 से 2024-25 तक योजना को जारी रखने के लिए एक ईएफसी (व्यय वित्त समिति) ज्ञापन तैयार किया गया था और मंत्रालय के विचाराधीन था।

मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में कहा है कि वह देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए एक नई योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है। समिति का मानना है कि लघु जल विद्युत योजना पर अप्रैल, 2017 से कार्य चल रहा है, 5 वर्ष बीत चुके हैं और कोई योजना/कार्यक्रम दृष्टिगोचर नहीं है। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा अपनी सिफारिश में रेखांकित किए जाने के बावजूद मंत्रालय ने एसएचपी के लिए एक योजना तैयार करने में अत्यधिक विलंब के कारण नहीं बताए हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, समिति अपनी सिफारिश दोहराती है कि मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर लघु जल विद्युत योजना तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और इसके लिए ईएफसी से यथाशीघ्र मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, लक्ष्य इस तरह से निर्धारित किए जाने चाहिए जो एक निश्चित समय सीमा में उपलब्ध 21,133 मेगावाट विद्युत क्षमता का दोहन कर सकें और 1 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली सभी लघु जल विद्युत (एसएचपी) परियोजनाओं को नए एसएचपी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

अध्याय - दो

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश संख्या 1

समिति नोट करती है कि भारत ने यह संकल्प किया है कि वर्ष 2030 तक उसकी 40 प्रतिशत अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से आएगी। स्वस्थ पृथ्वी के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इसमें यह घोषणा की गई कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी, जिसमें 100 गीगावाट सौर, 60 गीगावाट पवन, 10 गीगावाट बायोमास और शेष 5 गीगावाट छोटे जल विद्युत शामिल हैं। यह बताया गया कि इन लक्ष्यों की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता 1 जनवरी, 2021 तक 92.54 गीगावाट है जिसमें 38.79 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 38.68 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 10.31 गीगावाट बायो पावर से और 4.76 गीगावाट छोटे जल विद्युत से शामिल है। समिति पाती है कि 50 प्रतिशत से कुछ अधिक ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सका और शेष 82.46 गीगावाट को डेढ़ वर्ष के दौरान स्थापित किया जाना है। समिति को यह भी जानकारी दी गई कि 49.30 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता क्रियान्वयनाधीन है और शेष 27.57 गीगावाट की निविदा दी गई है। यदि इन क्षमताओं को अधिष्ठापित किया जाता है तो समग्र क्षमता 169.41 गीगावाट होगी जो अभी भी 175 गीगावाट के लक्ष्य से कम है। ऐसी स्थिति में, समिति इस बात पर आशंका व्यक्त करती है कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में कोई लापरवाही बरतने से हमारी प्रतिबद्धता प्रभावित होगी। अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को मिशन मोड पर कार्य करना होगा ताकि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

सरकार का उत्तर

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, देश में (बड़ी पन बिजली सहित) कुल 151.39 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की जा चुकी है, जो देश में कुल स्थापित क्षमता का 38.48 प्रतिशत है। वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट स्थापित

अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की तुलना में, देश में कुल 104.88 गीगावाट ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय विद्युत क्षमता (बड़ी पन बिजली को छोड़कर) (दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार) स्थापित की जा चुकी है। लगभग 56.31 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की जा रही है और अतिरिक्त 26.82 गीगावाट क्षमता की निविदा जारी की जा चुकी है। अतः, कुल 188.01 गीगावाट क्षमता या तो स्थापित की जा चुकी है या कार्यान्वयनाधीन/ बोली की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने दिसम्बर 2022 तक 175 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। तथापि, कोविड महामारी की दो लहरों के कारण परियोजनाओं को 7.5 महीनों के समय-विस्तार की स्वीकृति दी गई थी। इस देरी के कारण 175 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने में दिसम्बर 2022 के आगे कुछ और महीने लग सकते हैं।

[नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
का.जा. सं. 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक: 21/01/2022]

सिफारिश संख्या 2

समिति टिप्पणी करती है कि राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) 11 जनवरी, 2010 में शुरू किया गया था जिसमें ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे (i) वर्ष 2022 तक ग्रिड से जुड़े 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करना (ii) वर्ष 2022 तक 20 मिलियन सौर लाइटों सहित ऑफ ग्रिड 2,000 मेगावाट सोलर एप्लीकेशन्स स्थापित करना (iii) 20 मिलियन वर्ग मीटर सौर तापीय कलक्टर क्षेत्र (iv) देश में सौर विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाना और (v) वर्ष 2022 तक ग्रिड समानता लाने के लिए अनुसंधान और विकास सहायता तथा क्षमता निर्माण कार्य करना। तदनंतर, मंत्रीमंडल ने 17.06.2015 को हुई अपनी बैठक में ग्रिड कनेक्टड सौर पावर परियोजनाओं के लिए 2021-22 तक 20,000 मेगावाट से 1,00,000 मेगावाट तक एनएसएम के अंतर्गत समग्र लक्ष्य में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। तथापि, चूंकि 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट सहित) प्राप्त करने का मिशन वर्ष 2015 में शुरू

किया गया था, समिति में उन वास्तविक घटकों के बारे में जानना चाहा जिनके द्वारा वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को मंत्रालय प्राप्त करना चाहता है। समिति को बताया गया कि ये घटक निम्न हैं:-

- (i) 40,000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लक्ष्य के लिए अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं और 50 सोलर पार्क स्थापित करने के लिए सौर ऊर्जा पार्क योजना,
- (ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और भारत सरकार के संगठनों द्वारा व्यवहार्य अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) के साथ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी योजना,
- (iii) सीईसीआई, जिसका उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए 1000 मेगावाट का एक अलग घटक है, द्वारा 5000 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सौर पीवी पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए वीजीएफ योजना,
- (iv) ग्रिड कनेक्टेड सौर रूफटॉप पावर संयंत्रों की स्थापना,
- (v) ऑफ ग्रिड सोलर पीवी योजना,
- (vi) किसानों की सहायता के लिए छोटी सौर पावर परियोजनाओं और सिंचाई के लिए सौर पंप स्थापित करने के लिए प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)।

सरकार का उत्तर

समिति का सुझाव नोट कर लिया गया है। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मंत्रालय द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, कोविड महामारी की दो लहरों के कारण परियोजनाओं को 7.5 महीनों के समय-विस्तार की स्वीकृति दी गई थी। इस देरी के कारण 175 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने में दिसम्बर 2022 के आगे कुछ और महीने लग सकते हैं।

[नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
का.जा. सं. 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक: 21/01/2022]

सिफारिश संख्या 3

तथापि, समिति टिप्पणी करती है कि वर्ष 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू करने के दस वर्ष बाद तथा वर्ष 2015 में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लिये की घोषणा के पश्चात् वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने के मिशन के भाग के रूप में सरकार 31 जनवरी, 2021 तक देश में 38.79 गीगावाट सौर ऊर्जा ही स्थापित कर सकी। मंत्रालय ने बताया कि 36.03 गीगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 23.87 निविदा चरण में हैं लेकिन वास्तविक चुनौती है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा में वास्तव में आरंभ करना है। समिति गत 10 वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा किए गए कार्य की गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सिफारिश करती है कि मंत्रालय को वर्ष 2022, जो शीघ्र ही आने वाला है, की समय-सीमा के भीतर 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शीघ्र एक रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया है और दिसम्बर, 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, हासिल किए गए लक्ष्य की स्थिति निम्नानुसार है:

चालू की गई सौर परियोजनाएं (दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)	48.08 गीगावाट
पीपीए पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं परंतु चालू नहीं हुए	32.47 गीगावाट (29.43 + 3.04 हाइब्रिड सौर)
एलओआई जारी परंतु पीपीए पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।	13.83 गीगावाट (11.43 + 2.40 हाइब्रिड सौर)
निविदा जारी परंतु जारी नहीं	25.32 गीगावाट (20.52 + 4.80 हाइब्रिड सौर)
कुल:	119.70 गीगावाट (109.46 + 10.24 हाइब्रिड सौर)

इसके अलावा, कोप 26 में माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसरण में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
का.जा. सं. 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक: 21/01/2022]

सिफारिश संख्या 6

समिति नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता में से केवल 1948 मे.वा. के सौर ऊर्जा रुफटॉप पांच वर्षों से अधिक अवधि (01.04.2015 से 30.06.2020) में स्थापित किए जा सके। ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप सौर ऊर्जा कार्यक्रम के चरण II को फरवरी, 2019 में स्वीकृति दी गई जिसमें वर्ष 2022 तक रुफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं से 40,000 में.वा. कुल क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तथापि, 3000 मे.वा. के वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान केवल 472 में वा. लक्ष्य प्राप्त किया जा सका, फिर भी आने वाले वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (31 दिसम्बर, 2022 तक) के लिए अधिक लक्ष्य निर्धारित किए गए जैसे क्रमशः 6000 में.वा., 12000 में.वा. और 17000 मे.वा.। अतः समिति टिप्पणी करती है कि सौर ऊर्जा रुफटॉप के लिए निर्धारित लक्ष्य वास्तविक उपलब्धि की तुलना में वास्तविक प्रतीत नहीं होते हैं। यह चिंता का विषय है कि वर्ष 2015-16 से आज तक मंत्रालय किसी प के लिए निर्धारित लक्ष्य वास्तविक उपलब्धि की तुलना में वास्तविक प्रतीत नहीं होते हैं। यह चिंता का विषय है कि वर्ष 2015-16 से आज तक मंत्रालय किसी भी वर्ष के दौरान सौर ऊर्जा रुफटॉप क्षमता 500 मे.वा. से अधिक स्थापित नहीं सका जबकि वर्ष 2022-23 (अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2022 तक) नौ महीनों के दौरान 17000 मे.वा. का अत्यधिक और वास्तविक प्रतीत न होने वाला लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपलब्धि के इस निराशाजनक रिडार्क के बावजूद मंत्रालय ने 3 कि.वा. की क्षमता तक के लिए राजसहायता की राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी। समिति महसूस करती है कि यदि इस इच्छा को जमीनी स्तर पर

ठोस उपलब्धि के रूप में प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सौर ऊर्जा रूफटॉप सुविधा स्थापित करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। समिति का यह विचार है कि कार्य की धीमी गति का एक कारण जनता में इस योजना के बारे में जागरूकता का अभाव होना है। अतः समिति सिफारिश करती है कि:

- (i) मंत्रालय को रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली के लाभों तथा सरकारों द्वारा इसके लिए दिए जा रहे प्रोत्साहनों को सभी भाषाओं को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रचारित करना चाहिए ताकि जनता जागरूकता पैदा की जा सके।
- (ii) एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली शुरू की जानी चाहिए और पहले चरण में देश के सभी जिला मुख्यालयों में उपभोक्ताओं को सभी सहायता/सेवा/ जानकारी दी जाए तथा उन्हें बिना किसी बाधा के रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए।
- (iii) उपरोक्त एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली द्वारा राजसहायता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को पारदर्शी, आसान और त्वरित बनाया जाना चाहिए तथा इस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुए इस प्रयोजन हेतु एक डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया जाना चाहिए।
- (iv) कम आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए अधिक राजसहायता प्रदान करने हेतु मंत्रालय को आय आधारित राजसहायता देने संबंधी मानदंड पर विचार करना चाहिए।
- (v) मंत्रालय को सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक समय-बद्ध योजना बनानी चाहिए।

सरकार का उत्तर

डिस्कॉमों के माध्यम से रूफ टॉप सौर (आरटीएस) कार्यक्रम के वर्तमान चरण-II का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कुछ डिस्कॉमों ने काफी प्रोत्साहक परिणाम दिखाए हैं जैसे कि गुजरात के डिस्कॉमों ने राज्य में आरटीएस को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान चलाया है:

- एसएमएम- आवासीय उपभोक्ताओं को 150 लाख एसएमएस भेजे गए
- मिस्ड कॉल: बेव लिंक और सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल 7666449911 पर मिस्डकॉल
- ग्राहक सूचना पोर्टल- सब्सिडी, सूचीबद्ध एजेंसियों का नाम, कार्यान्वयन दिशानिर्देश आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए (<https://suryagujarat.guvnl.com>).
- रेडियोआल इंडिया रेडियो(एफएम/एएम) और निजी एफएम 7 चैनलों (एफएम/एएम) - नियमित अंतराल पर सूचना का प्रसारण किया
- फ्लेक्स बैनर- विभिन्न सरकारी कार्यालयों (डिस्कॉ, कलेक्टर कार्यालय, मामलतदार, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत) पर प्रदर्शित
- फ्लायर- कस्बे में आवासीय उपभोक्ताओं के लिए फ्लायरों का मुद्रण किया गया और आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के साथ उनका वितरण शुरू किया गया है।
- गांवों, कस्बों, नगरपालिका, म्युनिसिपल कार्पोरेशन क्षेत्र में जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन
- समाचार पत्र विज्ञापन- वर्ष में दोबार गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी समाचार पत्रों में फुल पेज/हॉफ पेज विज्ञापन का प्रकाशन करवाया जाता है।
- प्रतिवर्ष एक माह के लिए ऐसे प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग लगाए गए, जहां पर कि रोजाना लोगों का आवागमन रहता है।
- टीवी न्यूज़ चैनलों और सिनेमा पर वीडियो विज्ञापन
- सोशल मीडिया:- सूचना और अपडेट संबंधी जानकारी देने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वेब पेज शुरू किए गए हैं। यूट्यूब:- जागरूकता से संबंधित वीडियो देखने के लिए “सूर्या-गुजरात-जीयूवीएनएल” चैनल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स (एआई) आधारित व्हाट्सएप चेटबोट:- 9724300270 मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर एआई आधारित चेटबोट की शुरुआत की गई है, व्हाट्सएप पर कोई भी व्यक्ति उक्त नंबर को कॉन्टेक्ट

लिस्ट में सेव कर सकता है और “हार्ड” टाईप करके चेट की शुरुआत कर सकता है और एफएक्यू उत्तर प्राप्त कर सकता है।

इसके परिणाम स्वरूप, गुजरात राज्य ने दो वर्षों से भी कम अवधि में आवासीय क्षेत्र में ही 1000 मेगावाट से अधिक आरटीएस क्षमता की स्थापना की है। अन्य डिस्कॉमों को आरटीएस को प्रोत्साहित करने के लिए इसी प्रकार की जनजागरूक पहलें शुरू करने की सलाह दी गई है। आरटीएस कार्यक्रम चरण-II के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के माध्यम से आवासीय क्षेत्र में 4 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य की तुलना में, कुल 3.34 गीगावाट क्षमता का आवंटन कर दिया गया है जिसमें से 1.1 गीगावाट से अधिक क्षमता की स्थापना की सूचना दी गई है और शेष क्षमता कार्यान्वयन/निविदा के विभिन्न चरणों में है। कुल मिलाकर, सभी क्षेत्रों अर्थात् आवासीय, सामाजिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सरकारी, संस्थागत आदि सहित सभी क्षेत्रों में, देश में 6 गीगावाट से अधिक आरटीएस स्थापना क्षमता हासिल की जा चुकी है।

अधिकतर डिस्कॉमों के लिए आवेदन करने और अनुमोदन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। इन पोर्टलों को अधिक यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए आवश्यकता और फीडबैक के आधार पर अपडेट किया जा रहा है। उपभोक्ताओं पर शुरुआती निवेश के बोझ को कम करने के लिए, उपभोक्ताओं को आरटीएस प्रणाली की पूरी लागत का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें केवल लाभार्थी के हिस्से की अदायगी करनी होती है और आरटीएस की स्थापना तथा डिस्कॉम के माध्यम से उसके निरीक्षण के बाद इंस्टालर को सब्सिडी के हिस्से का सीधा भुगतान किया जाता है। डिस्कॉम अधिकारी द्वारा निरीक्षण और क्लियरेंस के बाद इंस्टालर को शीघ्र सब्सिडी के ऑटोमेटिक भुगतान के लिए प्रविधियाँ तैयार की जा रही हैं।

वर्तमान सब्सिडी के ढांचे को इस तरह से तैयार किया गया है कि कम उपभोग वाली श्रेणी अर्थात् कम आय वालों को अधिक लाभ दिया जा सके। अधिकतर कम आय श्रेणी वाले उपभोक्ता 3 किलोवाट के स्वीकृत लोड में हैं जिसके लिए 40 प्रतिशत का उच्च सब्सिडी स्लैब लागू होता है।

सभी सरकारी भवनों में आरटीएस की स्थापना करने के लिए सरकारी विभागों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। रेस्को मोड में स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने मॉडल पीपीए और बोली दस्तावेज तैयार किए हैं। इसके अलावा, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त तकनीकी सहायता के माध्यम से मांग एकत्रीकरण सहायता भी प्रदान की जा रही है।

[नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
का.जा. सं. 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक: 21/01/2022]

सिफारिश संख्या 8

समिति नोट करती है कि ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा फोटो वोल्टिक (पीवी) एप्लीकेशन्स कार्यक्रम मुख्यतः उत्तर-पूर्व राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और क्षेत्रों, जहां ग्रिड पॉवर पहुंचा नहीं है या पूर्णतः लागू नहीं है, में 3 लाख सौर ऊर्जा सड़क लाइट, 25 लाख सौर ऊर्जा अध्ययन लैंप और 100 एमडब्ल्यूपी के ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण योजना को 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया। समिति टिप्पणी करती है कि 3 लाख सौर ऊर्जा सड़क लाइट, 25 लाख सौर ऊर्जा अध्ययन लैंप और 100 एमडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा पैकस् के लक्ष्य की तुलना में मात्र 12,167 सौर ऊर्जा सड़क लाइटें, 60,662 सौर ऊर्जा अध्ययन लैंप 1422 कि.वा. सौर ऊर्जा पैकस् स्थापित/वितरित किए गए। समिति समझती है कि इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन अब तक धीमी गति से हुआ है क्योंकि कोविड-19 महामारी फैल गई अतः स्थिति में सुधार के पश्चात मंत्रालय से आशा की जाती है कि योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। विद्यार्थियों विशेष रूप से उत्तर-पूर्व राज्यों के पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के संबंध में समिति महसूस करती है कि देश के ग्रामीण, पहाड़ी और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था करने के लिए सौर ऊर्जा अध्ययन

लैंप प्रदान कर उनके लिए बेहतर बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अतः, समिति निम्नवत विशिष्ट उपायों की सिफारिश करती है:-

(i) मंत्रालय को पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में तथा एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों के छात्रों को निःशुल्क सौर अध्ययन लैंप उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।

(ii) ग्राहकों को समय पर और उचित रखरखाव और मरम्मत सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए देश के हर जिले में समयबद्ध तरीके से सेवा केंद्र स्थापित किए जाएं।

(iii) मंत्रालय को चाहिए कि वह राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों, सिंचाई नहरों आदि के किनारे सौर लाइटें लगाने के लिए प्रोत्साहित करे और इस संबंध में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार स्थिति आम जनता की जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर दी जाए।

सरकार का उत्तर

ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण 3 के तहत, मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को सौर स्टडी लैम्पों का वितरण किया जाता है और सौर स्टडी लैम्प की 85 प्रतिशत लागत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत, कई राज्यों ने छात्रों पर बोझ डाले बगैर शेष 15 प्रतिशत हिस्से का सक्रियता से भुगतान किया, तदनुसार, इन राज्यों में छात्रों को लैम्पों का निःशुल्क वितरण किया गया।

मंत्रालय ने सौर स्टडी लैम्प आपूर्तिकर्ता के लिए यह अनिवार्य किया कि वह प्रत्येक परिचालन जिले में एक सर्विस सेंटर और प्रत्येक परिचालन राज्य में स्थानीय भाषा में एक हेल्पलाइन स्थापित करे। मंत्रालय उक्त की अनुपालना के बाद ही कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सीएफए जारी करता है।

दिनांक 31.03.2021 को ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-III को बंद कर दिया गया था। तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई

सिफारिश के अनुसार, कार्यक्रम को कतिपय संशोधनों के साथ जारी रखना प्रस्तावित है। कार्यक्रम में ग्रामीण जीवन यापन के लिए विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोगों को वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान को शामिल करने का प्रस्ताव है क्योंकि इन अनुप्रयोगों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके उत्पन्न होंगे।

एलईडी और बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार होने के साथ साथ सौर लाइटें किफायती हो रही हैं और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संबंधित विभाग राष्ट्रीय/राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों, सिंचाई नहरों आदि की दोनों तरफ सौर लाइटें स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा ऑफ-ग्रिड सौर कार्यक्रम के तहत सौर लाइटें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तथापि, ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई जहां ग्रिड विद्युत के माध्यम से स्ट्रीटलाइटिंग प्रणालियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। मंत्रालय द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार स्थापित सौर लाइट प्रणालियों का डेटा रखा जाता है और इसे नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है तथा इसे जनता के लिए सूचना हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।

[नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
का.जा. सं. 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक: 21/01/2022]

सिफारिश संख्या 9

समिति नोट करती है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना, दिनांक 19.02.2019 को अनुमोदन के बाद शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर क्षमता का संवर्धन करना है। इस योजना के तीन घटक हैं: घटक-क के अंतर्गत 10,000 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है और किसान अपनी बंजर/परती भूमि पर 2 मेगावाट क्षमता तक का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और डिस्कॉम को बिजली बेच सकते हैं तथा इस प्रकार अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, घटक-ख के अंतर्गत आदान लागत, प्रदूषण आदि को कम करने वाले डीजल पंपों को प्रतिस्थापित करने

के लिए 17.5 लाख स्टैंड-अलोन सोलर वाटर पंप लगाए जाने हैं, घटक-ग के अंतर्गत 10 लाख विद्यमान ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंपों का सौरीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि प्रत्येक पंप की क्षमता दोगुनी हो सके और किसान न केवल दिन के समय जमीन की सिंचाई कर सके बल्कि अधिशेष बिजली भी बेच कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके। इन लक्ष्यों के अंतर्गत, घटक-क के अंतर्गत 14 राज्यों में 1000 मेगावाट, घटक-ख के अंतर्गत 17 राज्यों में 1,71,270 सौर जल पंप और घटक-ग के अंतर्गत 12 राज्यों में 82,308 कृषि पंपों के सौरीकरण को वर्ष 2019-20 के दौरान मंजूरी दी गई है। वर्ष 2020-21 के लिए 15 राज्यों को घटक-ख के अधीन 2.21 लाख स्टैंड अलोन सौर पम्पों का आवंटन किया गया है। समिति पाती है कि अब तक इस योजना में राज्यों की भागीदारी कम है तथा मंत्रालय भी सभी घटकों के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रहा है जिससे कि परिणामों की बेहतर निगरानी हो सकती थी। समिति टिप्पणी करती है कि यह योजना न केवल किसानों के लिए लाभकारी है बल्कि राज्यों तथा वितरण कम्पनियों के लिए भी जानकारी है क्योंकि राज्य कृषि के लिए दी जाने वाली बिजली पर दी जा रही राजसहायता की बचत करेंगे तथा वितरण कंपनियों को अंतिम छोर पर सस्ती सौर ऊर्जा मिलेगी जिससे कि संचरण और वितरण हानि कम होगी। आगे, इस योजना में किसानों के लिए अतिरिक्त आय तथा पर्यावरण प्रदूषण में कमी के बारे में भी व्यवस्था है। तथापि, समिति पाती है कि घटक क और ग के लिए क्रमशः सिर्फ सात राज्य तथा तीन राज्यों ने टैरिफ निर्धारित की है, शेष राज्यों में अभी टैरिफ निर्धारित किया जाना है। सात राज्यों में से कम से कम दो राज्यों में वितरण कंपनियों ने टैरिफ की पुनरीक्षा/निर्धारण किए जाने के लिए याचिकाएं दायर की हैं। समिति के समक्ष लाई गई कठिनाइयों के आलोक में सिफारिश की जाती है कि:

(i) मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र बनाना चाहिए कि किसानों द्वारा उत्पन्न बिजली वितरण कंपनियों द्वारा खरीदी जाए तथा उसके बदले किसानों को समय से भुगतान हो।

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएम-कुसुम योजना को जोर-शोर से कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए क्योंकि केवल 19 राज्यों ने ही इस योजना के अधीन वर्ष 2019-20 के दौरान क्षमता स्वीकृत कराई है।

सरकार का उत्तर

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट भाषण के दौरान, माननीय वित्त मंत्री ने स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना के लिए 20 लाख किसानों को सहायता देने के लिए (घटक-ख) और उनके ग्रिड-संबद्ध पंप सेटों का सौरीकरण करने के लिए 15 लाख किसानों को सहायता देने के लिए (घटक-ग) पीएम-कुसुम योजना का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, घटक- ख और घटक-ग के तहत संशोधित लक्ष्यों के साथ योजना का दायरा बढ़ाया गया जिसके परिणाम स्वरूप 30.8 गीगावाट (25.75 से बढ़ी हुई) की अतिरिक्त सौर क्षमता होगी। योजना का दायरा बढ़ाए जाने से, घटक - ग के तहत एक नए उप- घटक, फीडर स्तर सौरीकरण, की शुरुआत की गई जिसके तहत अब राज्य, एमएनआरईसे 30 प्रतिशत (1.05 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट तक) सीएफए के साथ कृषि फीडर को सौरीकृत कर सकते हैं। फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स या रेस्को मोड में किया जा सकता है।

आज तक, घटक-क के तहत 4909 मेगावाट क्षमता; घटक-ख के तहत 3.59 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों; और घटक-ग के तहत 10 लाख से अधिक पंपों का सौरीकरण किया जा चुका है। **अनुबंध-II** पर राज्य-वार स्वीकृत क्षमताओं का ब्यौरा दिया गया है। इसमें से, घटक-क के तहत 25 मेगावाट से अधिक की स्थापना की जा चुकी है; घटक-ख के तहत 77 हजार से अधिक स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना की जा चुकी है; और घटक-ग (व्यक्तिगत पंप सौरीकरण) के तहत 1026 वर्तमान पंपों का सौरीकरण किया गया है। इसके अलावा, घटक-क के तहत 15 राज्यों में टैरिफ को स्वीकृति पदान की गई है।

सितम्बर, 2019 में योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत के समय से, देश ने वर्ष 2020 और 2021 में कोविड-19 की दो बड़ी लहरों को देखा है। इन लहरों और इसी अवधि के दौरान कई क्षेत्रों में प्रादेशिक स्तर पर लहर से कार्यान्वयन बुरी

तरह प्रभावित हुआ है। सामग्री और पुर्जों की आपूर्ति श्रृंखला, और स्थापना स्थलों तक पहुंच में रुकावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यान्वयन में काफी देरी हुई है। वैश्विक स्तर पर आई बाधा को देखते हुए, मंत्रालय ने सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को 7.5 माह का कुल ब्लैक-आउट समय-विस्तार दिया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जारी स्वीकृति के कार्यान्वयन के लिए, घटक-क के तहत 31.03.2022 तक; घटक-ख के तहत 30.11.2021 तक; और घटक-ग (व्यक्तिगत पंप सौरीकरण) के तहत 31.07.2022 तक के समय-विस्तार की मंजूरी दी गई है। देरी और स्वीकृत समय-विस्तार को देखते हुए, मंत्रालय द्वारा पीएम- कुसुम योजना को दिसम्बर, 2022 से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है।

किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, योजना दिशा निर्देशों के साथ उपलब्ध मानक विद्युत खरीद करार (पीपीए) में यह प्रावधान है कि डिस्कॉमों द्वारा अक्षय विद्युत उत्पादक/ किसान को, उसके मासिक बिलों और/ या अनुपूरक बिलों के संबंध में एक मासिक बिना शर्त के, परिक्रामी और अपरिवर्तनीय साख पत्र दिया जाएगा। यदि डिस्कॉम, निर्विवाद मासिक बिल या अनुपूरक बिल या उसके एक हिस्से का भुगतान करने में असफल रहता है, तो, उत्पादक/किसान साखपत्र का उपयोग कर सकता है, और तदनुसार बैंक डिस्कॉम से किसी संदर्भ या निर्देश के बगैर मासिक या अनुपूरक बिल या उसके हिस्से के बराबर राशि का भुगतान करेगा। डिस्कॉमों द्वारा किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक एस्करो खाता खोलने की भी सलाह दी गई है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप, आज तक, घटक-क के तहत 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों; घटक-ख के तहत 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों; और घटक-ग के तहत 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृतियां जारी की गई हैं। अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसमें शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा, फीडर स्तर के सौरीकरण के लिए भारी मांग है, जिसमें घटक-ग के तहत 15 लाख पंपों के कुल लक्ष्य की तुलना में 43 लाख पंपों से अधिक की मांग प्राप्त हुई है। सामान्य जनता के बीच जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र के

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से विशाल जन जागरूकता अभियानकी शुरुआत की है। अभियान के तहत, जिला मुख्यालयों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में अधिक देखेजा सकने वाले स्थानों पर होर्डिंग/पोस्टर स्थापित किए जाएंगे। इससे योजनाके काफीसफल रहने की पूरी संभावना है।

[नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
का.जा. सं.372-12/8/2017-पीयू, दिनांक 21/01/2022]

सिफारिश संख्या 10

समिति सरकार के उत्तर नोट करती है कि देश में विश्व की चौथी सर्वाधिक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है जो 31 जूलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार 37.94 गीगावाट थी और बताया गया है कि वर्ष 2019-20 के दौरान पवन ऊर्जा से 64.639 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ था। तथापि समिति टिप्पणी करती है कि वर्ष 2017-18 से मंत्रालय पवन ऊर्जा के अपने वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका है। यह बताया गया है कि 2017 तक क्षमता संवर्द्धन फीड-इन-टैरिफ तंत्र के माध्यम से किया जाता था और बाद में प्रशुल्क व्यवस्था को फीड-इन-टैरिफ (एफआईटी) से हटाकर बोली मार्ग पर केंद्रित कर दिया गया जिसकी वजह से परियोजना लगाने की गति धीमी हो गई। यद्यपि प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से पवन विद्युत के प्रशुल्क में भारी गिरावट आई है अर्थात् फीड-इन-टैरिफ व्यवस्था में इसका प्रशुल्क 4 रुपए प्रति यूनिट था जो बोली व्यवस्था के अंगत घटकर लगभग 2.80 रुपए प्रति यूनिट हो गया। समिति को बताया गया कि एसईसीआई के माध्यम से मंत्रालय पवन विद्युत परियोजनाएं प्रदान करने के लिए नियमित रूप से पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बोली जारी करता रहा है। साथ ही, 2022 तक 60 जीडब्ल्यू का लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त क्षमता की बोलियां जारी की जा रही हैं। समिति आशा करती है कि इस बदलाव से 2022 तक 60 जीडब्ल्यू के समग्र लक्ष्य को हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

समिति यह भी नोट करती है कि गुजरात और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में लगभग क्रमशः 36 जीडब्ल्यू और 31 जीडब्ल्यू की अपतटीय पवन विद्युत क्षमता विद्यमान है। भारत अपतटीय पवन ऊर्जा विकास के प्रारंभिक चरण में है और उपसतह, सीबेड सांस्थिति आदि की प्रकृति को समझने के लिए व्यापक अपतटीय पवन और अन्य समुद्र विज्ञान संबंधी पैमाईश/सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में 7500 किलोमीटर से भी अधिक लंबा समुद्र तट है, समिति सिफारिश करती है कि:

- (i) गुजरात और तमिलनाडु के अतिरिक्त अन्य सभी तटीय राज्यों में अपतटीय पवन विद्युत की संभावना का पता लगाने के लिए मंत्रालय को व्यापक प्रयास करना चाहिए।
- (ii) मंत्रालय को प्रशुल्क व्यवस्था में बदलाव के बारे में सभी हितधारकों से परामर्श करना चाहिए ताकि 2022 तक 60 जीडब्ल्यू के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

सरकार का उत्तर

- (i) गुजरात और तमिलनाडु राज्य के अपतट पर, प्रत्येक पर आठ चिह्नित क्षेत्रों में लगभग 70 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता होने का आरंभिक मूल्यांकन किया गया है। गुजरात के अपतट पर खंभात की खाड़ी के लिए लीडार, भू-भौतिकी, भू-तकनीकी और तीव्र पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन अध्ययन करते हुए पवन संसाधनों का मापन किया गया है। तमिलनाडु के अपतट के तर्ज पर मन्नार की खाड़ी के लिए भी इसी तरह के अध्ययन की योजना है। पहले से चिह्नित क्षेत्रों में मापन का कार्य पूरा होने के बाद अन्य तटीय राज्यों में भी इसका पता लगाया जा सकता है।
- (ii) हितधारकों के परामर्श से समय-समय पर नीति/दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन किए जा रहे हैं।

[नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
का.जा. सं.372-12/8/2017-पीयू, दिनांक 21/01/2022]

सिफारिश संख्या 11

समिति नोट करती है कि देश में 10 जीडब्ल्यू के लक्ष्य की तुलना में 9.936 जीडब्ल्यू की कुल क्षमता का बायोमास विद्युत (31.07.2020 की स्थिति के अनुसार) और सह-उत्पादन संस्थापित किया जा चुका है। इस संबंध में मंत्रालय ने बताया है कि यह क्षेत्र डिस्कॉम द्वारा विद्युत खरीद करार न किया जाना, कार्यशील पूंजी की कमी तथा बायोमास की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं का सामना करता रहा है। समिति इस बात को लेकर संतुष्ट है कि मंत्रालय बायोमास के 10 जीडब्ल्यू लक्ष्य को प्राप्त करने के काफी निकट पहुंच चुका है। परंतु, नए राष्ट्रीय बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य के प्राप्ति के संबंध में, समिति पाती है कि मंत्रालय वर्ष 2011-12 से पिछले 9 वर्षों के दौरान अपनी वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। मंत्रालय के असंतोषजनक कार्यनिष्पादन को देखते हुए समिति सिफारिश करती है कि:

- (i) मंत्रालय को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कम से कम अब से वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का व्यापक पुनर्विलोकन करना चाहिए।
- (ii) उज्जवला योजना के आलोक में एनएनबीओएमपी के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों की सूची पुनः तैयार की जाए ताकि इस योजना के निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

सरकार का उत्तर

बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए वास्तविक लक्ष्यों एवं गुणात्मक परिणामों को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों/एसएनए के साथ वृहत समीक्षा बैठकों के संबंध में सुझावों/सिफारिशों को विधिवत रूप से नोट कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, बहुआयामी योजना- जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत वित्त सचिव एवं सचिव, व्यय, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 22.09.2021 को हुई ईएफसी बैठक में बायोगैस कार्यक्रम की समीक्षा की गई है। 5 वर्ष की अवधि

(वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिए ईएफसी प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के समक्ष 'सैद्धांतिक अनुमोदन' के लिए प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त ईएफसी बैठक में, व्यय विभाग (डीओई) ने सिफारिश की है कि कार्यक्रम को केवल पहले से ही सृजित देयताओं को पूरा करने के लिए जारी रखा जा सकता है और इस कार्यक्रम की उप-योजनाओं के तहत कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जा सकती हैं। इस शर्त का तात्पर्य यह है कि दिनांक 31.03.2021 के बाद जैव ऊर्जा कार्यक्रम को प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा, क्योंकि किसी नई परियोजना के लिए सहायता नहीं दी जा सकती है।

तथापि, बायोगैस संयंत्रों के अधिकतम वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिनांक 31.03.2021 तक निम्नलिखित उपचारात्मक कार्रवाई की गई है:-

- i. एमएनआरई ने लघु बायोगैस संयंत्रों के नए डिजाइनों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए, जो कि पर्यावरण अनुकूल एवं टिकाऊ, लेकिन मानक एवं नवीन गुणवत्ता सामग्रियों से बने आसान एवं किफायती घरेलू सामुदायिक ग्राम-स्तरीय लघु बायोगैस उपयोग (1 से 25 घन मी. की श्रेणी में) के लिए हों, और भारतीय जलवायु की स्थितियों के लिए उपयुक्त हो तथा एनेरोबिक फर्मेंटेशन के लिए विभिन्न फीडस्टॉक/जैविक अपशिष्टों को प्रसंस्कृत करने में सक्षम हों। इससे विभिन्न रेंज के बायोगैस मॉडलों को अपनाए जाने को बढ़ावा मिलेगा।
- ii. प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से सुचारु रूप से कार्रवाई करने हेतु सभी लघु बायोगैस परियोजना घटकों को सेवा प्रदान करने और एनएनबीओएमपी के तहत बायोगैस संयंत्रों के लिए प्रस्तुतीकरण से लेकर संस्थापन और प्रचालन एवं अनुरक्षण तक के एंड-टू-एंड सॉल्यूशन के साथ एक सुदृढ़ अनुप्रयोग प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए एमएनआरई द्वारा बायोगैस अनुप्रयोग पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के एंड टू एंड प्रबंधन से अनुमोदन के लिए लगने वाले समय में काफी कमी आएगी और इस डिजिटल प्लैटफॉर्म के माध्यम से हितधारकों के बीच निरंतर संवाद स्थापित होगा।

iii. एमएनआरई वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ राष्ट्र-स्तरीय एवं क्षेत्र-स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित कर बायोगैस योजना की प्रगति की सतत समीक्षा कर रहा है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.जा. सं.372-12/8/2017-पीयू, दिनांक 21/01/2022]

सिफारिश संख्या 13

समिति यह नोट करती है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, नवीकरणीय खरीद दायित्व यह अधिदेशित करता है कि सभी विद्युत लाइसेंसधारियों को अपनी आवश्यकता की न्यूनतम विनिर्दिष्ट मात्रा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीदा जाए या उत्पादित किया जाए और राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य के लिए न्यूनतम आरपीओ निर्धारित करे। समिति पाती है कि विद्युत मंत्रालय ने 14 जून, 2018 को समान नवीकरणीय खरीद दायित्व पथ को अधिसूचित किया था जिसमें वर्ष 2021-22 तक 21 प्रतिशत आरपीओ (10.5 प्रतिशत गैर-सौर और 10.5 प्रतिशत सौर) प्राप्त किया जाएगा। वर्ष 2019-20 के लिए इस पथ द्वारा अधिदेशित किया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा (25 मेगावाट की स्थापित क्षमता से अधिक हाइड्रो पावर को छोड़कर) का हिस्सा 17.50 प्रतिशत (सौर से 7.25 प्रतिशत और गैर-सौर से 10.25 प्रतिशत) होगा लेकिन केवल 10.77 प्रतिशत प्राप्त हो सका। यह बताया गया कि केवल छह राज्यों- आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु में आरपीओ की पूर्ण प्राप्ति की गई और सात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों- गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली और महाराष्ट्र ने आरपीओ 55 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किया। समिति ने पाया कि देश में आरपीओ का अनुपालन मणिपुर में 3.7 प्रतिशत से लेकर कर्नाटक में 250 प्रतिशत तक है। आरपीओ पथ के अब तक हुए गैर अनुपालन के बारे में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि:

- (i) मंत्रालय आरपीओ के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी एसईआरसी/जेईआरसी/ से सक्रियतापूर्वक विमर्श करे और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए आरपीओ पथ से अपने आरपीओ पथ का मिलान करे और चूककर्ता दायित्वधारी कंपनियों के विरुद्ध दाण्डिक प्रावधानों को लागू किया जाए।
- (ii) आरपीओ को आगे ले जाने या उसमें छूट दिए जाने की अनुमति प्रदान न की जाए।
- (iii) गैर अनुपालन हेतु निवारण के रूप में जुर्माने में वृद्धि की जाए।

सरकार का उत्तर

- (i) आरपीओ अनुपालन सुनिश्चित करने और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आरपीओ ट्रेजेक्ट्री के साथ राज्यों की आरपीओ ट्रेजेक्ट्री को अनुकूलित करने के लिए एमएनआरई एसईआरसी/जेईआरसी के साथ नियमित रूप से इस मामले को उठा रहा है। इस संबंध में मंत्रालय ने दिनांक 06 अक्टूबर, 2020; 04 जनवरी, 2021; 28 जुलाई, 2021 और 12 नवम्बर, 2021 के पत्रों के माध्यम से एसईआरसी/जेईआरसी से अनुरोध किया कि वे विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आरपीओ ट्रेजेक्ट्री के साथ अपनी आरपीओ ट्रेजेक्ट्री को अनुकूलित करें और चूककर्ता संस्थाओं के विरुद्ध दांडिक प्रावधान लागू करे। इसके अतिरिक्त, माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने दिनांक 30 जनवरी, 2021 के पत्र के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों से भी अनुरोध किया है कि वे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डिस्कॉमों द्वारा आरपीओ अनुपालना किए जाने की आवश्यकता पर जोर दें।
- (ii) समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है।
- (iii) आरपीओ की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 के प्रारूप में आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

[नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
का.जा. सं.372-12/8/2017-पीयू, दिनांक 21/01/2022]

सिफारिश संख्या 14

समिति यह नोट करती है कि भारत में विशेषज्ञ क्षमता के साथ पवन ऊर्जा, बायोमास और लघु हाइड्रो पावर उपकरणों के घरेलू उत्पादन हेतु पर्याप्त क्षमता है। 2010 में, आरंभ किए गए राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत एक लक्ष्य यह था कि देश में सौर उत्पादन क्षमता के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया जाए। दिए गए उत्तर के अनुसार, देश में वार्षिक उत्पादन क्षमता सोलर पीवी सेल्स के लिए लगभग 3 जीडब्ल्यू है; सोलर पीवी मोड्यूल के लिए लगभग 10-15 जीडब्ल्यू है; सोलर इनवर्टर के लिए लगभग 5 जीडब्ल्यू है; जबकि देश में पॉलीसिलिकोन/वेफर/इनगोट/ का कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं है। समिति यह नोट करती है कि लाखों अमेरिकी डॉलर मूल्य के वेफर, सोलर इनवर्टर, सोलर पीवी सेल और मॉड्यूल का वर्ष 2013-14 से चीन, जर्मनी, मलेशिया, अमेरिका आदि देशों से आयात किया जा रहा है। समिति महसूस करती है कि आयातों पर अत्याधिक निर्भरता सौर ऊर्जा सेक्टर में आपूर्ति पक्ष की ओर से विसंगतियां पैदा कर सकती है। समिति की राय के अनुसार यह परेशान करने वाली बात है कि मंत्रालय वर्ष 2010 से ही देश में घरेलू सौर विनिर्माण क्षमता को विकसित करने के लिए कोई दीर्घकालिक नीति नहीं बना पाया। राष्ट्रीय सौर मिशन को शुरू करने के एक दशक के बाद भी मंत्रालय वर्तमान बंदरगाहों में और उनके इर्द-गिर्द नवीकृत ऊर्जा विनिर्माण केंद्रों को स्थापित करने की ओर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है और सौर पीवी मॉडल और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची के संबंध में ऑर्डर जारी करने के लिए उपयुक्त समय का इंतजार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे नारों के अनुसरण में समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय देश में नवीकृत ऊर्जा के सौर ऊर्जा सेगमेंट में तीव्र विकास लाने के लिए सशक्त समर्थन आधार के निर्माण करने के लिए घरेलू सौर विनिर्माण क्षमता विकसित करने हेतु दीर्घकालिक नीति तैयार करे जिससे अन्य देशों से आयात की निर्भरता कम हो और देश में रोजगार के मौकों का सृजन हो सके।

सरकार का उत्तर

सरकार ने घरेलू सौर पीवी निर्माण बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(क) घरेलू सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर) योजनाओं और 'भारत में निर्माण को प्राथमिकता आदेश: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनेक योजनाओं के लिए लगभग 37 गीगावाट डीसीआर (सेलों और मॉड्यूलों) की आवश्यकता है। आशा है कि घरेलू सेलों और मॉड्यूलों की सुनिश्चित मांग से घरेलू निर्माण के लिए निवेश में सुविधा होगी।

(ख) दिनांक 28 अप्रैल, 2021 को सरकार ने भारत में सेल, वेफर, इंगोत्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अपस्टेज वर्टिकल कंपोनेंट्स सहित उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के निर्माण को सहायता एवं बढ़ावा देने के लिए 4500 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" की शुरुआत की थी और इस प्रकार सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) सेक्टर में आयात निर्भरता में कमी आई। इस निर्णय के अनुसरण में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए बोली आमंत्रण हेतु निविदा जारी की गई। निविदा के लिए प्रोत्साहक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिसमें कि 18 बोलियाँ प्राप्त हुईं, जिससे लगभग 11 गीगावाट की वर्तमान सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता (एएलएमएम सूचीबद्ध) में अन्य लगभग 55 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता जोड़ी जा सकी। तीन पात्र सफल बोलीदाताओं को निधियों के आवंटन की सीमा तक अवार्ड पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) भारत में लगाए जा रहे सौर पीवी मॉड्यूलों की विश्वनीयता सुनिश्चित करने के लिए एमएनआरई ने निर्माण सुविधाओं के समग्र निरीक्षण के बाद मॉडलों एवं विनिर्माताओं को सूचीबद्ध करने की व्यवस्था शुरू की है। निरीक्षण के बाद सभी पात्र सौर पीवी मॉड्यूल मॉडलों एवं विनिर्माताओं को मॉडलों एवं विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) - सूची-I (सौर मॉड्यूल) और सूची-II (सौर-सेल) में शामिल किया जाएगा। इससे पंजीयन में अग्रिम समय के जरिए घरेलू विनिर्माताओं को वरीयता प्राप्त होगी। चूंकि घरेलू सौर निर्माण क्षमता बहुत कम है, इसलिए

एमएनआरई ने केवल सौर मॉड्यूलों के लिए सूची-1 प्रकाशित की है। दिनांक 30 नवम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 11 गीगावाट की मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता इस एएलएमएम सूची में सूचीबद्ध की गई है।

[नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
का.जा. सं.372-12/8/2017-पीयू, दिनांक 21/01/2022]

सिफारिश संख्या 15

समिति ने पाया कि हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना का लक्ष्य नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर और वायु से प्राप्त विद्युत को ग्रिड में परम्परागत बिजली घरों के साथ जोड़ना है। बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन हेतु मंत्रालय द्वारा अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट का अनुमोदन वर्ष 2015-16 में किया गया। इस परियोजना का कार्यान्वयन आठ नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनी-अपनी राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा किया जा रहा है। मंत्रालय इसकी नियमित रूप से निगरानी करता है और यह पाया गया है कि मंत्रालय में एक परियोजना मूल्यांकन समिति भी इस परियोजना की निगरानी करती है और एसटीयू को केंद्रीय अनुदान को जारी करने की सिफारिश करती है। हालांकि समिति को यह जानकर दुःख हुआ है कि सुस्थापित तंत्र होने के बावजूद परियोजना इच्छित गति से नहीं बढ़ी और समेकित 7363 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन का और 9976 एमवीए क्षमता के उपकेंद्रों का निर्माण पिछले पांच वर्षों में (31.12.2020 की स्थिति के अनुसार) कतई संतोषजनक नहीं रहा है। यह 9700 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनों और 22600 एमवीए क्षमता के उपकेंद्रों के निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रहा है। समिति की राय में हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना की प्रगति की धीमी रफ्तार के लिए अतिरिक्त उत्तरदायी कारणों में से, मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त मॉनिटरिंग और परियोजना को जिस प्राथमिकता की दरकार थी, वह न दिया जाना भी लक्ष्य को प्राप्त न करने के लिए उत्तरदायी है। समिति अंतरा-राज्य हरित ऊर्जा परियोजना के क्रियान्वयन में हुए विलंब को लेकर

चिंतित है। समिति पाती है कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मई 2021 तक बढ़ाई गई समय-सीमा तक 2335 सीकेएम की ट्रांसमिशन लाइनों को स्थापित करना होगा और 12624 एमवीए की कुल क्षमता के उपकेंद्रों को चालू करना होगा। लेकिन यह पिछले निष्पादन को देखते हुए बहुत ही असंभव लग रहा है। परियोजना की महत्ता को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों से ऊर्जा को निकालने के लिए और ग्रिड के साथ इसको जोड़ने के लिए समिति मंत्रालय द्वारा तैयार प्लान को जानना चाहेगी और समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को ग्रीन ऊर्जा कॉरिडोर को समय से पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों के साथ मिशन मोड में गंभीरता से प्रयास करना होगा ताकि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विश्वसनीय निष्क्रमण अवसंरचना की कमी के कारण खामियाजा न भुगतना पड़े।

सरकार का उत्तर

3200 सीकेएम पारेषण लाइनों और 17,000 एमवीए सब-स्टेशन के साथ जीईसी का अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) घटक मार्च, 2020 तक पूरा कर लिया गया है।

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार जीईसी के इंटरा-स्टेट पारेषण प्रणाली (इन्ट्रा-एसटीएस) घटक के तहत 9700 सीकेएम के लक्ष्य में से 8468 सीकेएम पारेषण लाइनें निर्मित की गई हैं और 22600 एमवीए के लक्ष्य में से कुल 15268 एमवीए सब-स्टेशन चार्ज किए गए हैं।

जीईसी का इन-एसटीएस घटक संबंधित राज्यों की राज्य पारेषण यूटीलिटी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इन्ट्रा-एसटीएस जीईसी परियोजना को चालू करने की समय-सारणी राज्य सरकारों के अनुरोध पर पहले दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाई गई और बाद में कोविड की वजह से निर्माण कार्य में बाधा के कारण 31.05.2021 तक बढ़ाई गई। इसके बाद, राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर जीईसी के तहत परियोजनाएं चालू करने की समय-सीमा पुनः जून, 2022 तक बढ़ाई गई है। सभी राज्यों में निम्नलिखित विभिन्न कारणों से इन्ट्रा-एसटीएस घटक में देरी हुई है:-

क. कम बोली प्राप्त होने की वजह से कुछ परियोजनाओं के लिए फिर से निविदा जारी की गई, अतः कार्य प्रदान करने में विलम्ब हुआ (महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एवं मध्य प्रदेश)

ख. कुछ परियोजनाएं रद्द करनी पड़ीं क्योंकि नियोजित अक्षय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं तैयार नहीं हुईं (राजस्थान)। तदनुसार, वैकल्पिक परियोजनाओं की योजना बनाई एवं स्वीकृत की गई। ये परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

ग. कुछ परियोजनाएं बोली प्राप्त नहीं होने की वजह से रद्द करनी पड़ीं (महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश)

घ. कुछ परियोजनाएं राज्य द्वारा अपने कारणों से रद्द की गईं (आन्ध्र प्रदेश)

ङ. कुछ स्वीकृत परियोजनाओं में वन संबंधी मंजूरी और मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मामलों की वजह से देरी हुई है।

च. कोविड की वजह से निर्माण कार्य में बाधा के कारण विलंब।

मंत्रालय जीईसी परियोजनाएं समय पर पूरा करने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहा है ताकि अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं भरोसेमंद निकासी अवसंरचना की कमी की वजह से प्रभावित न हो सकें।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

का.जा. सं. 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:21/01/22]

सिफारिश संख्या 16

समिति यह नोट करती है कि 58 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (जून, 2020 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता 87 गीगावाट है और लगभग 30 गीगावाट पर काम चालू है) की स्थापना के लिए 2,61,000 करोड़ रुपए के वित्तपोषण की जरूरत है। यह बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में औसत वार्षिक निवेश लगभग 82,300 करोड़ रुपए रहा है और पिछले कुछ वर्षों में पवन और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए लागत में कमी की भी उम्मीद है। कोविड-19 महामारी और परिणामी आपूर्ति अवरोधों के साथ-साथ पारंपरिक बिजली क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से उत्पन्न स्थिति को ध्यान

में रखते हुए, समिति का मानना है कि अगले दो साल में 2,61,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना आसान काम नहीं होगा। समिति की राय है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्तपोषण के लिए एकमात्र समर्पित सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था होने के नाते अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, ताकि अपेक्षित धन की अनुपलब्धता के कारण परियोजनाएं रोकी न जा सकें। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से यथासंभव अधिक दीर्घकालिक वित्तपोषण और रियायती ऋण जुटाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 104.88 गीगावाट है। इसके अतिरिक्त, 56.31 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 26.82 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इस प्रकार लगभग 188.01 गीगावाट की परियोजनाएं चालू कर दी गई हैं अथवा बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इरेडा ने आगामी वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अधिक कारोबार हासिल करने के लिए तैयारी कर ली है और अगले 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए कार्य योजना बनाई है। योजना में किए गए अनुमान के अनुसार, इरेडा का अनुमान अगले 5 वर्षों में 1.95 लाख करोड़ रु. (लगभग) वितरित करने का है और ऋण की मात्रा 1.35 लाख करोड़ रु. (लगभग) तक हो जाएगी। अगले 5 वर्षों में ऋण वितरण और ऋण की मात्रा के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	कुल
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	
1	संवितरण	19,488	26,120	35,277	48,452	65,182	1.95 लाख (लगभग)

2	लोन पोर्टफोलियो	37,286	52,081	71,941	99,006	1,35,067 (लगभग 1.35 लाख)	-
---	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------------------------------	---

मंत्रिमंडल ने 19 जनवरी, 2022 को इरेडा में 1500 करोड़ रु. इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है जिससे बेहतर निवल मूल्य, सुदृढ़ सीआरएआर में सहायता मिलेगी और अक्षय ऊर्जा सेक्टर में लगभग 12000 करोड़ रु. का ऋण दिया जाएगा ताकि 3500-4000 मेगावाट अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि को सुविधाजनक बनाया जा सके। साथ ही, इरेडा ने सक्रिय निगरानी एवं आक्रामक वसूली प्रक्रिया बनाई है जिसमें सभी ऋण खातों की पाक्षिक आधार पर समीक्षात्मक समीक्षा की जाती है ताकि विभिन्न उपायों अर्थात् खातों के पुनर्गठन एवं विधिक विकल्पों (उदाहरणस्वरूप एनसीएलटी, सरफेसी एवं डीआरटी) के जरिए एनपीए कम किया जा सके।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.जा. सं. 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:21/01/22]

सिफारिश संख्या 17

समिति ने नोट किया है कि स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (जून,2020 तक) की 88 गीगावाट में से, इरेडा ने 25,922,60 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ 11,830,69 मेगावाट की 229 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। यह भी बताया गया है कि इरेडा के पास 86 एनपीए (गैर-निष्पादित आस्ति) खाते हैं, जिनमें 31.03.2020 तक कुल 2110.64 करोड़ रुपए का बकाया ऋण है और 31 परियोजनाओं के 1748.146 करोड़ रुपए बकाया हैं। समिति ने पाया कि इरेडा द्वारा वित्तपोषित 18 लघु जल विद्युत परियोजनाएं और 11 बायोमास विद्युत परियोजनाएं क्रमशः 24920.01 करोड़ रुपए और 104.59 करोड़ रुपए के बकाया ऋण के साथ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बन गई हैं। समिति इरेडा की भारी बकाया ऋण राशि पर अपनी चिंता व्यक्त करती है और उनमें से कुछ ऋण गैर-

निष्पादित आस्तियां बन रही हैं और समिति महसूस करती है कि भावी परियोजनाओं में इरेडा द्वारा बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे परिदृश्य के लिए उत्तरदायी कारणों का व्यापक विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए समिति की इच्छा है कि गैर-निष्पादक आस्तियों से संबंधित मुद्दों का निपटान अत्यधिक गंभीरता से किए जाने की आवश्यकता है और इस प्रकार सिफारिश करती है कि:

(i) इरेडा को अत्यधिक निवेश वाली बड़ी परियोजनाओं की संस्वीकृति देने से पूर्व और अधिक कठोरतापूर्वक सम्यक श्रम को समाहित करने के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन और ऋण प्रदायगी की संपूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए ताकि भविष्य में इनके गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में परिवर्तित होने की आंशका का परिहार किया जा सके।

(ii) स्पेशल मेंशन अकाउंट्स (एसएमए) श्रेणी के कर्जदारों के साथ आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें गैर-निष्पादनकारी आस्तियां होने से रोका जा सके।

(iii) आस्तियों की नीलामी कर बकाया ऋण की तेजी से उगाही तथा अन्य विधिक कार्रवाई शुरू की जाए।

सरकार का उत्तर

इरेडा वसूली दर में सुधार करने के लिए कई सक्रिय कार्रवाई कर रहा है। समय पर कार्रवाई/नियमित निगरानी और एनपीए उधार प्राप्तकर्ताओं के साथ चर्चा के परिणामस्वरूप, इरेडा का सकल एनपीए 10.08 प्रतिशत (दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार) से कम होकर 8.77 प्रतिशत (दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार) हो गया है और निवल एनपीए 7.8 प्रतिशत (दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार) से कम होकर 5.61 प्रतिशत (दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार) हो गया है जो सकल एनपीए में 13 प्रतिशत की कमी और निवल एनपीए में 21.87 प्रतिशत के बराबर है।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एनपीए से कुल 342.24 करोड़ रु. की वसूली में से मूल धन के रूप में 169.55 करोड़ रु. और ब्याज से प्राप्त आय

के रूप में 172.69 करोड़ रु. प्राप्त हुए। 342.24 करोड़ रु. की वसूली में क्षय परिसंपत्तियों से प्राप्त 10.37 करोड़ रु. भी शामिल हैं।

इरेडा ने परियोजनाओं के मूल्यांकन की अपनी संपूर्ण प्रक्रिया और ऋण संवितरण को सुदृढ़ करने के लिए पहले ही निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- इरेडा के पास विधिक, वित्त और तकनीकी विभागों के प्रतिनिधियों सहित एक जांच समिति है जो प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करती है और ऋण स्वीकृत करने के पहले सुधार, यदि कोई हो, का सुझाव देती है।
- ऋण के मूल्यांकन एवं संवितरण के समय सभी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहमति की शुरुआत की गई है।
- सभी लेखों में इरेडा नियमित निगरानी करता है और परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और साथ ही परियोजनाओं से संबंधित मामलों इसके समय पर समाधान करने के लिए, यदि कोई हो, को चिह्नित करने के लिए यथा अनुप्रयोज्य लेंडर्स इंडिपेंडेंट इंजीनियर (एलओआई) नियुक्त करता है।
- इसके अलावा, इरेडा राजस्व प्राप्तियों की स्थिति की भी निगरानी करता है और प्रचालन में किसी कमी के मामले में इसे नियमित करने के उद्देश्य से यथा अपेक्षित कार्रवाई करता है।

इरेडा बकाया राशि की शीघ्र अदायगी के लिए ई-मेल, पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेलीफोन पर चर्चा के जरिए एसएमए (विशेष उल्लिखित खातों) का नियमित अनुवर्तन करता है।

साथ ही, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के आरंभिक समाधान के लिए विधिक, वित्त, तकनीकी, वसूली एवं निगरानी विभागों के प्रतिनिधित्व वाली आंतरिक समीक्षा बैठक पाक्षिक आधार पर आयोजित की जा रही है।

इरेडा ने एनपीए लेखों से त्वरित वसूली के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- इरेडा उधार प्राप्तकर्ताओं से बकाया धनराशि की वसूली को सक्षम बनाने और एनपीए को कम करने के लिए उनके साथ नियमित रूप से इस मामले को उठा रहा है।

- समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के जारी विभिन्न मानदंडों एवं परिपत्रों के अनुसार अपने एनपीए को कम करने के लिए विभिन्न उपाय करने हेतु इरेडा द्वारा पृथक वसूली प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। किए गए कुछ उपाय हैं:
 - बकाया धनराशि की वसूली के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, सरफेसी अधिनियम, डीआरटी अथवा आईबीसी के तहत उपयुक्त कार्रवाई करना,
 - गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों सहित सभी संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की नेमी निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति गठित की गई है।
- दिनांक 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित आंकड़ों के अनुसार समय पर वसूली के लिए उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने के कारण, इरेडा का सकल एनपीए 8.77 प्रतिशत (दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार) से और कम होकर 8.05 प्रतिशत (दिनांक 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार) हो गया है और निवल एनपीए 5.61 प्रतिशत (दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार) से कम होकर 4.87 प्रतिशत (दिनांक 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार) हो गया है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.जा. सं. 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:21/01/22]

सिफारिश संख्या 18

समिति नोट करती है कि राज्यों और वितरण कंपनियों के ऊपर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक/डेवलपर का 11,752,71 करोड़ रुपए बकाया है (03.07.2020 की स्थिति के अनुसार)। समिति महसूस करती है कि उत्पादकों/डेवलपर के ऊपर बकाया राशि की संदायगी नहीं होने के परिणामस्वरूप अधिक दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियां संग्रहीत हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप दुष्चक्र बन सकता है और इसके उत्तरोत्तर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकारों के साथ अविलम्ब इस मामले को उठाना चाहिए और तत्काल बकाया राशि की वसूली की जानी चाहिए और भविष्य में

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों/डेवलपरों को बकाया राशि की समय पर संदायगी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सरकार का उत्तर

सेकी की बोलियों के तहत स्थापित की जा रही नई पवन और सौर परियोजना, भुगतान सुरक्षा तंत्र में शामिल हैं और विलंब से भुगतान से संबंधित कोई मामला नहीं है। भुगतान में विलंब का मामला पुरानी परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ विद्युत खरीद करार सीधे राज्य डिस्कॉम के साथ है। मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ भुगतान में विलम्ब के मामले को नियमित रूप से उठा रहा है। इस संबंध में, सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

क. एमएनआरई ने इरेडा के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उत्पादकों की बकाया धनराशि की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है।

ख. ऐसे मामलों में जहाँ, यदि एलसी का प्रावधान, जो पीपीए का हिस्सा है एवं उत्पादकों के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र का काम करता है, लागू नहीं है अथवा अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता है तो विद्युत मंत्रालय ने जून/जुलाई, 2019 में पावर एक्सचेंज से विद्युत की खरीद की अनुमति नहीं देने और अल्पकालिक खुली पहुंच की स्वीकृति नहीं देने के लिए आदेश जारी किए। आदेशों के अनुसार, एलसी दिनांक 01 अगस्त, 2019 से की गई विद्युत खरीद के लिए खोला जाएगा।

ग. विद्युत मंत्रालय ने निर्धारित तारीख के बाद बकाया धनराशि के भुगतान पर विलम्ब से भुगतान के संबंध में अधिशुल्क का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2021 की विद्युत (विलम्ब भुगतान अधिशुल्क) नियमावली, 2021 जारी की।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.जा. सं. 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:21/01/22]

सिफारिश संख्या 19

समिति नोट करती है कि मंत्रालय के पास नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव के संबंध में और इस क्षेत्र में कितनी नौकरियां खत्म हुई हैं, के बारे में

आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, मंत्रालय ने कोरोना वायरस के फैलाव के कारण आपूर्ति श्रृंखला के अस्त-व्यस्त होने और लॉकडाउन लगने की वजह से हुए विलंब के कारण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समय का विस्तार दिया गया है। यह भी बताया गया है कि कोरोना वायरस के कारण हुई अस्त-व्यस्तता के चलते नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को समय से हासिल करना भी प्रभावित हो सकता है। समिति का मानना है कि कोविड-19 एक अप्रत्याशित बड़ी घटना हुई है जिसके चलते अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है लेकिन अब इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किए जाने की आवश्यकता है और मंत्रालय को घोषित समय-सारणी के अनुरूप वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा के 175 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को सहायता को जारी रखने के लिए एक समुचित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। समिति आशा करती है कि मंत्रालय अपनी विस्तृत कार्य योजना और सामरिक कार्यान्वयन मॉडल के आधार पर लक्ष्य को हासिल करेगा।

सरकार का उत्तर

एमएनआरई ने कोविड-19 के चलते लॉकडाउन को अप्रत्याशित घटना के रूप में मानने और लॉकडाउन तथा कोविड-19 के कारण आई बाधा की वजह से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 7.5 माह का समय-विस्तार मंजूर करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। इस विलम्ब से 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में दिसम्बर, 2022 से आगे कुछ और माह का समय लग सकता है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.जा. सं. 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:21/01/22]

अध्याय - तीन

टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

शून्य

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश संख्या 4

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022 तक 50 से अधिक सौर ऊर्जा पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना द्वारा 40 गीगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की तुलना में 17 राज्यों में 22,879 मेगावाट कुल क्षमता के 39 सौर ऊर्जा पार्कों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इन स्वीकृत सौर ऊर्जा पार्कों में से 8 सौर ऊर्जा पार्कों में आधारभूत ढांचे को पूर्ण रूप से विकसित किया गया है जहाँ 6580 मेगावाट की कुल क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किया गया है और 4 सौर ऊर्जा पार्कों को आंशिक रूप से विकसित किया गया है जहाँ 1365 मेगावाट की कुल क्षमता की सौर परियोजनाओं को शुरू किया गया है। समिति टिप्पणी करती है कि 17,121 मेगावाट की कुल क्षमता के शेष 11 सौर ऊर्जा पार्कों को मंत्रालय द्वारा अभी स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गई है जबकि ये सौर ऊर्जा पार्क विकसित किए जाने थे और वर्ष 2022 तक इन्हें शुरू किया जाना था। अभी तक केवल 20 प्रतिशत स्वीकृत सौर ऊर्जा पार्कों को पूरी तरह से विकसित किया गया है और शेष 10 प्रतिशत को आंशिक रूप से विकसित किया गया है और 70 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। समिति अब तक कार्य की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करती है क्योंकि 5 वर्ष (2015-20) से अधिक की अवधि के दौरान मंत्रालय केवल 8 सौर ऊर्जा पार्क ही पूर्ण रूप से विकसित कर सका तथा वर्ष 2022 तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 32,055 मेगावाट की कुल क्षमता को अभी प्रारंभ किया जाना है। समिति को यह जानकारी दी गई कि सौर ऊर्जा पार्कों के विकास में मुख्य चुनौती भूमि अधिग्रहण की है जो राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों पर निर्भर करता है। लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं है कि तीन वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी मंत्रालय ने 11 सौर ऊर्जा पार्कों को

मंजूरी क्यों नहीं दी है। समिति समझती है कि यदि मंत्रालय के स्तर पर स्वीकृति में इतना अधिक समय लगता है तो लक्ष्य निर्धारित करना अर्थहीन हो जाता है। अतः समिति आशा करती है कि स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो जाएगी ताकि परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित किया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सौर ऊर्जा परियोजनाएं भू-उन्मुखी परियोजनाएं हैं, जिसके लिए भूमि का बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है, समिति ने विशेष रूप से सिफारिश की:

(i) मंत्रालय को सौर ऊर्जा पार्क शीघ्र स्थापित करने के लिए विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के विकल्प की खोज सक्रिय रूप से करनी चाहिए।

(ii) मंत्रालय को कोच्चि हवाई अड्डे, जो विश्व में पहला पूर्णतया सौर ऊर्जा उपयोग वाला हवाई अड्डा है, की भांति समयबद्ध तरीके से सभी हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

(i) समिति के सुझाव को नोट कर लिया गया है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 तक कुल 40 गीगावाट क्षमता के सौर पार्कों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय ने कुल 33.8 गीगावाट की समग्र क्षमता के 50 सौर पार्कों के लिए अनुमोदन दिया है। इनमें से, 6580 मेगावाट स्थापित क्षमता की परियोजनाओं के साथ 8 पार्क पूर्ण हो चुके हैं और 2615 मेगावाट स्थापित क्षमता की परियोजनाओं के साथ 6 पार्क आंशिक रूप से पूर्ण हैं।

मंत्रालय ने राज्यों को प्रोत्साहन देने के प्रावधान के साथ सौर पार्क योजना के तहत एक नए मोड (मोड-8) की शुरुआत की है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / राज्य सरकार की एजेंसियां सक्रिय रूप से शामिल हैं और इस मोड के तहत पार्कों का विकास कर रहे हैं।

मंत्रालय भी सौर पार्कों की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है।

(ii) नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जनवरी 2020 में विभिन्न हवाईअड्डों का सौरीकरण करने और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए खाली पड़ी हवाईअड्डों की भूमि का उपयोग करने का अनुरोध किया गया था। इन पहलों से, विभिन्न हवाईअड्डों पर 101 मेगावाट क्षमता की सौर पीवी परियोजनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। इसका ब्यौरा **अनुबंध-एक** पर दिया गया है

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.जा.सं 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक: 21/01/2022]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 9 देखें)

सिफारिश संख्या 5

समिति नोट करती है कि नौ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने 1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना में भाग लिया और इन नौ सीपीएसयू को देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम को 795 करोड़ रु. (भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रभारों सहित) जारी किया गया। सीपीएसयू योजना के चरण-II में 319 करोड़ रु. सात भाग लेने वाले सीपीएसयू/सरकारी संगठनों को देने के लिए जारी किए गए। यह भी बताया गया कि इस योजना में स्वदेशी निर्मित सेल और मॉड्यूल्स के उपयोग की परिकल्पना की गई है। समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि योजना के अंतर्गत स्वदेशी सामान की आवश्यकता का प्रावधान है जिससे स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सौर पीवी ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी विनिर्माताओं को लगातार बाजार प्रदान करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि:

(i) सीपीएसयू और सरकारी संगठनों द्वारा ग्रिड कनेक्टिड सौर पीवी ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना के अंतर्गत लक्ष्य को बढ़ा देना चाहिए।

(ii) चूंकि अब तक योजना के केवल कुछ ही सीपीएसयू ने भाग लिया है इसलिए मंत्रालय को सक्रिय कदम उठाने चाहिए तथा और अधिक सीपीएसयू/सरकारी संगठनों को योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

(i) और (ii) सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से एक योजना, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना) कार्यान्वित कर रही है ताकि सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं द्वारा सीधा या वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से उपयोग के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ ग्रिड-संबद्ध सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा सकें। सीपीएसयू योजना चरण-II के तहत सौर पीवी विद्युत संयंत्रों की स्थापना स्वदेशी तौर पर निर्मित सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों का उपयोग करते हुए की जाएगी। उक्त योजना के तहत, आज तक (दिनांक 03.01.2022 तक) निम्नलिखित क्षमताओं का आवंटन किया गया है:

क्र. सं.	सरकारी संस्था का नाम	सीपीएसयू योजना चरण-II के तहत आवंटित सौर पीवी विद्युत संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)
1	एनटीपीसी लिमिटेड	3682
2	द सिंगरेनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड	171
3	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3
4	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	30
5	एनएचडीसी लिमिटेड	25*
6	नालंदा विश्वविद्यालय	5
7	इंदौर नगर निगम	100
8	एसजेवीएन लिमिटेड	1000

9	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	510
10	एनएचपीसी लिमिटेड	1000
11	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	500
12	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1200
कुल		8226*

*एनएचडीसी लि. को आवंटित 25 मेगावाट क्षमता को सेकी द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

उक्त 8226 मेगावाट क्षमता में से, 1911 मेगावाट क्षमता के लिए 65.70 लाख रु. प्रति मेगावाट के वीजीएफ की आवश्यकता है, 115 मेगावाट क्षमता के लिए 55.60 लाख रु. प्रति मेगावाट के वीजीएफ की आवश्यकता है और 6200 मेगावाट क्षमता के लिए 44.45 लाख रु. प्रति मेगावाट वीजीएफ की आवश्यकता है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.जा.सं 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक: 21/01/2022]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 12 देखें)

सिफारिश संख्या 7

समिति यह नोट करती है कि सभी राज्य-संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों ने नेट मीटरिंग विनियम/शुल्क आदेश जारी किए हैं लेकिन इस संबंध में एकरूपता का अभाव है। यह बताया गया है कि अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रिड से लिए गए अधिक यूनिटों के ले कोई उपयुक्त भुगतान तंत्र नहीं है और इसे बिजली के बिल में आमतौर पर समायोजित किया जाता है। समिति टिप्पणी करती है कि नेट-मीटरिंग के अतिरिक्त अन्य मीटरिंग व्यवस्थाएं भी हैं जैसे सकल मीटरिंग। समिति का यह विचार है कि नेट/सकल मीटरिंग के उचित क्रियान्वयन के बिना सौर ऊर्जा रुफटॉप के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं और समिति महसूस करती है कि विनियमन/मॉडल संचालन प्रक्रिया/ऑनलाइन

यूनीफाइड पोर्टल आदि के लिए एकरूपता बनाए रखना आवश्यक है। अतः समिति सिफारिश करती है कि दोनों व्यवस्थाओं के लाभों और हानियों का विश्लेषण करने के पश्चात मंत्रालय को सभी पणधारकों के साथ परामर्श कर देश में नेट/सकल मीटरिंग व्यवस्था के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि डिस्कॉमस् और उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके।

सरकार का उत्तर

नेट-मीटरिंग नियमनों में एकरूपता लाने के लिए और आरटीएस को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियमाली, 2020 जारी की है और नियमावली में जून, 2021 में अपनी अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया है। संशोधित नियमावली के अनुसार, प्रोज्युमर को 500 किलोवाट या स्वीकृत लोड तक, जो भी कम हो और अन्य लोड के लिए नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन के लिए नेट-मीटरिंग करने की अनुमति है। संगत प्रावधान नीचे दर्शाए गए हैं:

“11 (4) नेट-मीटरिंग, ग्रास-मीटरिंग, नेट-बिलिंग या नेट-फीड-इन की व्यवस्था राज्य आयोग द्वारा समय समय पर तैयार नियमनों के अनुरूप होगी:

बशर्ते कि जहां नियमनों में नेट-मीटरिंग, नेट-बिलिंग या नेट-फीड-इन का प्रावधान नहीं है, आयोग प्रोज्युमर को पांच सौ किलोवाट या स्वीकृत लोड तक और अन्य लोड के लिए नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन, जो भी कम हो, के लिए नेट मीटरिंग की अनुमति दे सकता है।”

मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में मंत्रालय ने राज्यों के साथ पहले ही मानक संचालन प्रक्रियाएं साझा की हैं। इसके अलावा, आवेदन करने और अनुमोदन की प्रगति के लिए अधिकतर डिस्कॉमों के पास ऑनलाइन पोर्टल है। इन पोर्टलों को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने की जरूरत और फीडबैक के आधार पर इन्हें अपडेट किया जा रहा है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.जा.सं 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक: 21/01/2022]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 15 देखें)

सिफारिश संख्या 12

समिति नोट करती है कि 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली लघु विद्युत परियोजनाएं (एसएचपी) विकसित करने की जिम्मेदारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की है। देश में 7133 स्थानों पर लघु विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन करने की अभिज्ञात क्षमता 21,133 मेगावाट है। 5000 मेगावाट लक्ष्य की तुलना में 1130 लघु जलविद्युत परियोजनाओं से 4688.16 मेगावाट की क्षमता 30 जून 2020 तक प्राप्त की जा चुकी है और लगभग 509 मेगावाट की 100 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। यह बताया गया है कि एसएचपी स्कीम, 2014 31.3.2017 को समाप्त हो गई और एसएचपी कार्यक्रम को 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2010 तक तीन वर्षों के लिए जारी रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिल पाई। अब इस योजना को नए सिरे से मार्च, 2025 तक के लिए नया प्रस्ताव किया जा रहा है और एसएचपी स्कीम को 2020-21 से 2024-25 तक जारी रखने के लिए एक ईएफसी (व्यय वित्त समिति) ज्ञापन तैयार किया गया है और यह मंत्रालय के विचाराधीन है। मंत्रालय ने 2017 से एसएचपी के लिए योजना लाने में हुए इस अत्यधिक विलंब के लिए कोई कारण नहीं बताया है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि:

- (i) मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर लघु हाइड्रो पावर स्कीम तैयार किए जाने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाए और इसके लिए ईएफसी से शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करे।
- (ii) लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किए जाएं जिससे कि दी हुई समयावधि में लघु हाइड्रो सेक्टर में 21,133 मेगावाट विद्युत की उपलब्ध संभावना का उपयोग किया जा सके।
- (iii) 01 अप्रैल, 2017 से आरंभ होने वाले सभी लघु हाइड्रो पावर परियोजनाएं नए एसएचपी कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की जाएंगी।

सरकार का उत्तर

समिति के सुझाव को नोट कर लिया गया है। मंत्रालय देश में लघु पन विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए एक नई योजना तैयार कर रहा है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.जा.सं 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक: 21/01/2022]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 18 देखें)

अध्याय - पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;

26 जुलाई, 2022

श्रावण 4, 1944 (शक)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

सभापति,

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध - एक

हवाई अड्डों में स्थापित सौर पीवी परियोजनाएं

क्र सं.	हवाई अड्डे/संबंधित संगठन	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सितंबर 2021 तक स्थापित सौर पीवी क्षमता (मेगावाट में)	श्रेणी
1	पोर्ट ब्लेयर	अण्डमान और निकोबार	0.6	ग्राउंड और रूफटॉप
2	राजमुंदरी	आंध्र प्रदेश	1	ग्राउंड
3	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	1	ग्राउंड
4	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	1	ग्राउंड
5	डिब्रूगढ़	असम	0.725	रूफटॉप
6	जोरहाट	असम	0.075	रूफटॉप
7	गुवाहाटी-I और II	असम	0.3	रूफटॉप
8	सिलचर	असम	0.1	रूफटॉप
9	पटना	बिहार	0.25	रूफटॉप
10	गया	बिहार	0.22	रूफटॉप
11	रायपुर	छत्तीसगढ़	0.1	रूफटॉप
12	भारतीय विमानन अकादमी	दिल्ली	0.2	रूफटॉप
13	राजीव गांधी भवन	दिल्ली	0.25	रूफटॉप
14	नई दिल्ली	दिल्ली	7.84	ग्राउंड
15	सफदरजंग	दिल्ली	0.06	रूफटॉप
16	अहमदाबाद	गुजरात	1.4	रूफटॉप
17	भुज	गुजरात	0.23	रूफटॉप
18	राजकोट	गुजरात	0.15	रूफटॉप

19	वडोदरा	गुजरात	0.675	ग्राउंड
20	लेह	जम्मू और कश्मीर	0.027	रूफटॉप
21	रांची	झारखंड	0.25	रूफटॉप
22	बंगलोर	कर्नाटक	3.438	ग्राउंड और रूफटॉप
23	कालीकट	केरल	1.623	रूफटॉप
24	कोच्चि	केरल	40	ग्राउंड , कारपोर्ट , फ्लोटिंग और रूफटॉप
25	तिरुवनंतपुरम	केरल	0.5	रूफटॉप
26	भोपाल	मध्य प्रदेश	1.2	ग्राउंड और रूफटॉप
27	इंदौर	मध्य प्रदेश	0.1	रूफटॉप
28	इंदौर	मध्य प्रदेश	0.9	ग्राउंड
29	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	0.12	रूफटॉप
30	रेड ऑफिस और एटीएस कॉम्प्लेक्स , मुंबई	महाराष्ट्र	0.103	रूफटॉप
31	जुहू	महाराष्ट्र	0.15	रूफटॉप
32	बिरसी गोंदिया	महाराष्ट्र	0.38	ग्राउंड
33	पुणे	महाराष्ट्र	0.3	रूफटॉप
34	अंधेरी ट्रांसमिटिंग स्टेशन मुंबई	महाराष्ट्र	0.042	रूफटॉप
35	इंफाल	मणिपुर	0.13	रूफटॉप
36	भुवनेश्वर	ओडिशा	0.1	रूफटॉप
37	झारसुगुडा	ओडिशा	0.09	रूफटॉप
38	पुडुचेरी	पुडुचेरी	0.5	ग्राउंड
39	अमृतसर	पंजाब	0.4	रूफटॉप
40	जैसलमेर	राजस्थान	0.1	रूफटॉप

41	जयपुर	राजस्थान	1.9	ग्राउंड और रूफटॉप
42	जोधपुर	राजस्थान	0.1	रूफटॉप
43	किशनगढ़	राजस्थान	0.04	रूफटॉप
44	चेन्नई	तमिलनाडु	1.5	रूफटॉप
45	नया परिचालन कार्यालय रेड-चेन्नई	तमिलनाडु	0.1	रूफटॉप
46	मदुरै	तमिलनाडु	0.17	रूफटॉप
47	तिरुचिलापल्ली	तमिलनाडु	1.14	ग्राउंड और रूफटॉप
48	मदुरै	तमिलनाडु	0.73	ग्राउंड
49	हैदराबाद	तेलंगाना	5.5	ग्राउंड और रूफटॉप
50	अगरतला	त्रिपुरा	0.25	रूफटॉप
51	चंडीगढ़	केन्द्र शासित प्रदेश	3	ग्राउंड
52	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	0.515	रूफटॉप
53	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1.6	ग्राउंड और रूफटॉप
54	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	0.3	रूफटॉप
55	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	0.5	रूफटॉप
56	राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	उत्तर प्रदेश	0.06	रूफटॉप
57	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	17	ग्राउंड और रूफटॉप
58	बागडोगरा	पश्चिम बंगाल	0.05	रूफटॉप
कुल			101.083	

अनुबंध - दो

पीएम-कुसुम के तीन घटकों के तहत संचयी स्वीकृत क्षमता

क्रमांक	राज्य	घटक-क (मेगावाट)	घटक-ख (संख्या)	घटक-ग (संख्या)	
				व्यक्तिगत पंप सौरीकरण	फीडर स्तर सौरीकरण
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	50000
2	अरुणाचल प्रदेश	0	50	0	0
3	असम	50	1000	500	0
4	छत्तीसगढ़	30	20000	0	0
5	दिल्ली	62	0	550	0
6	गुजरात	500	3424	7000	500
7	गोवा	50	200	11000	0
8	हरियाणा	65	37000	0	32927
9	हिमाचल प्रदेश	20	950	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	5	5000	0	0
11	झारखंड	50	11000	500	10000
12	कर्नाटक	500	10500	0	250000
13	केरल	40	100	100	2000
14	लद्दाख	0	600	0	0
15	मध्य प्रदेश	300	57000	20000	175000
16	महाराष्ट्र	500	100000	0	250000
17	मणिपुर	0	150	0	0
18	मेघालय	5	200	0	10000
19	नागालैंड	0	50	0	0
20	ओडिशा	500	5700	0	0
21	पुडुचेरी	7	0	0	0

22	पंजाब	220	12000	0	25000
23	राजस्थान	1200	65000	12500	25000
24	तमिलनाडु	75	6100	20000	0
25	तेलंगाना	500	0	0	65000
26	त्रिपुरा	5	3100	2600	0
27	उत्तर प्रदेश	225	20000	0	30000
28	उत्तराखंड	0	338	200	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	700	0
कुल		4909	359462	75650	925427

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 26 जुलाई, 2022 को माननीय सभापति के चैम्बर, कमरा संख्या 111, संसदीय सौध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई

तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1530 बजे से 1615 बजे तक चली।

लोक सभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री संजय जाधव
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री सुनील कुमार मंडल
6. श्री अशोक महादेवराव नेते
7. श्री पी. वेलुसामी
8. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल
9. श्री बेलाना चन्द्रशेखर
10. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

11. श्री अजीत कुमार भुयान
12. श्री राजेन्द्र गहलोत
13. श्री मुजीबुल्ला खान
14. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
15. श्री एस. सेल्वागनबेथी
16. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | डॉ. राम राज राय | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री आर.के. सूर्यनारायणन | निदेशक |
| 3. | श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा | अपर निदेशक |

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु उठाया:

(i) 'विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा - देश भर में प्रशुल्क संरचना में एकरूपता की आवश्यकता' विषय पर प्रतिवेदन।

(ii) 'भारत में पवन ऊर्जा का मूल्यांकन' विषय पर प्रतिवेदन।

(iii) '175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य की उपलब्धि हेतु कार्य योजना' विषय पर सत्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

(iv) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों का विकास' विषय पर अठारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

(v) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूरा करने में विलंब' विषय पर उन्नीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

3. प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु पर चर्चा करने के पश्चात, समिति ने बिना किसी संशोधन/परिवर्तन के उपरोक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया। समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट - दो

(प्रतिवेदन के प्राक्कथन के अनुसार)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

(i)	सिफारिशों की कुल संख्या	19
(ii)	टिप्पणियां सरकारसिफारिशें जिन्हें/ने स्वीकार कर लिया है : क्रम सं. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19	
	कुल:	15
	प्रतिशत:	78.95 %
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है: क्रम सं. शून्य	
	कुल:	शून्य
	प्रतिशत:	00
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: क्रम सं 4, 5, 7 और 12	
	कुल:	04
	प्रतिशत:	21.05 %
(v)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:	
	क्रम सं शून्य	
	कुल:	शून्य
	प्रतिशत:	00
